

अध्याय

13.

वित्त

- वित्त मंत्रालय पर सरकार के वित्त का प्रशासन संभालने का दायित्व है। इसका संबंध पूरे देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक एवं वित्तीय विषयों से है।
- जिनमें विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है।
- यह राज्यों को संसाधन के अंतरण समेत सरकार के व्यय का नियमन करता है।
- इस मंत्रालय में पाँच विभाग हैं, जिनके नाम हैं:
 - (i) आर्थिक कार्य, (ii) व्यय, (iii) राजस्व, (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, तथा (v) वित्तीय सेवाएँ।

आर्थिक मामलों का विभाग

- FAO, ILO, UNIDO जैसे विशेषज्ञता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहयोग के अतिरिक्त भारत को मिलने वाले सभी प्रकार के विदेशी, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की निगरानी भी इसी विभाग द्वारा की जाती है।
- आर्थिक मामलों के विभाग में निम्नलिखित प्रभाग हैं:
 - एकीकृत वित्त प्रभाग,
 - राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (FRBM) सहित बजट प्रभाग,
 - वित्तीय बाजार,
 - द्विपक्षीय सहयोग और प्रशासन,
 - बहुपक्षीय संस्थाएँ,
 - बहुपक्षीय संबंध,
 - सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा के नियंत्रक,
 - आर्थिक प्रभाग,
 - निवेश एवं मुद्रा तथा
 - अवसंरचना एवं ऊर्जा।
- केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों

के प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है।

- भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण मुद्रा निदेशालय के पास होता है।
- एसपीएमसीआईएल भारत सरकार की टकसालों, करेंसी प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल का प्रबंधन करती है।
- बैंक नोट एवं सिक्कों के डिजाइन अथवा सुरक्षा तत्त्वों से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने एवं स्मारक सिक्के जारी करने के अतिरिक्त निदेशालय को इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ संचालित करने तथा बैंक नोट एवं अन्य सुरक्षा उत्पादों के उत्पादन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री का स्वदेशीकरण करने का अधिकार है।

वार्षिक बजट

- भारत का केंद्रीय बजट, प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

वार्षिक वित्तीय विवरण

- संविधान के अनुच्छेद-112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय अथवा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की आय एवं भुगतान को तीन भागों में दिखाया गया है, जिनमें सरकार के खाते विभाजित

किए जाते हैं:

- समेकित कोष,
 - आकस्मिक कोष और
 - लोक खाता।
- सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा किए गए ऋणों की वसूली से हुई प्राप्तियां समेकित कोष कहलाती हैं।
- सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित कोष से होता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता।
- ऐसे अवसर पर सरकार को संसद की अनुमति के बगैर ही आपात एवं अप्रत्याशित व्यय करने पड़ते हैं।
- ऐसे व्यय के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक कोष होता है।
- ऐसे व्यय के लिए तथा इसके समतुल्य राशि का आहरण समेकित कोष से करने के लिए बाद में संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और आकस्मिक कोष से खर्च हुई राशि की भरपाई कर दी जाती है।
- संसद द्वारा अधिकृत कोष में अभी 500 करोड़ रूपये की राशि है।
- संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से अलग करना होता है, इसलिए सरकार का बजट (I) राजस्व बजट एवं (II) पूँजी बजट से मिलकर बनता है।

अनुदान मांगें

- समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है और संसद में जिन पर मतदान होता है।
- संविधान के अनुच्छेद-113 के अनुसार अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिए एक अनुदान मांग रखी जाती है।
- किंतु बड़े मंत्रालयों एवं विभागों के लिए एक से अधिक मांगें रखी जाती हैं।
- प्रत्येक मांग में सामान्यतः किसी सेवा के लिए सभी प्रावधान होती हैं अर्थात् राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों के लिए अनुदान एवं सेवा से संबंधित ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान होते हैं।
- बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ के प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र के लिए अलग से मांग रखी जाती है।

वित्त विधेयक

- वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद-110(I)(A) की आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लागू करने, समाप्त करने, माफ करने, परिवर्तित करने तथा उनका नियमन करने का विवरण होता है।
- वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद-110 में परिभाषित धन विधेयक होता है। इसके साथ उसमें शामिल किए गए प्रावधानों के विवरण वाला एक ज्ञापन संलग्न होता है।

विनियोग विधेयक

- अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान होने के बाद अनुमोदित राशि का आहरण समेकित कोष से करने तथा समेकित कोष पर 'भारित' व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का आहरण करने हेतु विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है।
- संविधान के अनुच्छेद-114 (3) के अंतर्गत संसद द्वारा कानून लागू किए बगैर समेकित कोष से किसी भी प्रकार की राशि नहीं निकाली जा सकती।

लेखानुदान

- बजट प्रस्तुत होने के साथ आरंभ होने वाली और अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान के साथ समाप्त होने वाली पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है, इसलिए लोकसभा को मांगों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संदर्भ में किसी भी अग्रिम अनुदान को मंजूरी देने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है।
- 'लेखानुदान' का उद्देश्य 'वित्तीय आपूर्ति' पर मतदान लंबित रहने तक सरकार के क्रियाकलापों को जारी रखना है। संसद से लेखानुदान एक विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक 114 (3) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

राजस्व के स्रोत

- संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956, जिसे पिछली तिथि 1 अप्रैल, 1956 से लागू किया गया है, के अनुसार अनुच्छेद-268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों एवं करों अनुच्छेद-271 में उल्लिखित करों एवं शुल्कों पर संबंधित अधिभार एवं संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से लागू किए गए उपकर के अतिरिक्त केंद्रीय सूची में दिए गए सभी प्रकार के करों को भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा एवं संग्रहीत किया जाएगा और उसे केंद्र एवं राज्यों

के मध्य उसी विधि से वितरित किया जाएगा, जिस विधि का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं।

संसाधनों का अंतरण

- 2016-17 के संशोधित अनुमानों में केंद्र सरकार से राज्यों को कर एवं शुल्कों में उनके अंश के रूप में प्राप्त होने वाली कर प्राप्तियों का अंतरण 6,08,000 करोड़ रुपये था।
- 2017-18 के बजटीय अनुमानों में यह राशि बढ़ाकर 6,74,565 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कुल अनुदान एवं ऋण 2016-17 के संशोधित अनुमान 3,82,311 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 के बजटीय अनुमान में 4,10,510 करोड़ रुपये हो गया है।

सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं

- भारत के सार्वजनिक ऋण को केंद्र सरकार की देयताओं की 3 श्रेणियों आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण और अन्य देयताओं में विभाजित किया गया है।
- भारत सरकार के आंतरिक ऋण में प्रमुख अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों (दिनांकित प्रतिभूतियाँ एवं सरकार हुंडियाँ) का होता है, जिनका निर्गम नीलामियों के माध्यम से किया जाता है।
- विदेशी ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का सूचक होता है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से सीधे ऋण नहीं लेती है।
- विदेशी मुद्रा में उधारी लेने की इसकी प्रक्रिया बहुपक्षीय एजेंसियों एवं द्विपक्षीय स्त्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है और आधिकारिक विकास सहयोग (ODA) का हिस्सा होती है।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

- 7 मुख्य कार्यक्रमों यथा-सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं, स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 100 स्मार्ट शहर को उच्च प्राथमिकता जारी है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) भारत सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया एक मुख्य सुधार पहल है। यह विभिन्न सरकारी

नकद अंतरण के लाभ हेतु व्यापक दृष्टि और निर्देश देता है।

- आधार योजनाओं का लाभ लेने हेतु DBT की कल्पना अभीष्ट लाभार्थियों की सही पहचान और दक्षता बढ़ाने, योजनाओं के अंतर्गत लाभों/सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से की गई थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजनाएँ

- वित्तीय वर्ष 2005-06 से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण हेतु योजनाओं संबंधी अलग विवरण बजट दस्तावेज में शामिल किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह विवरण केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं से संबंधित ‘अनुसूचित जाति उपयोजना’ और ‘जनजातीय उपयोजना’ के अंतर्गत योजना (प्लान) स्कीमों पर केंद्रित है।
- इसमें वर्षावार वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान होता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्ववर्ती योजना आयोग योजना आवंटनों के एक भाग के रूप में SCSP और TSP हेतु अलग-अलग आवंटन कर रहा है।

आर्थिक वृद्धि

- सुस्त वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद, भारत ने 2016-17 में 7.1% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- अर्थव्यवस्था में सफल जोड़े गए मूल्य (GVA) की वृद्धि 2016-17 में 7.1% थी।
- आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूप से 2015-16 में 8.0% और 2014-15 में 7.5% की तुलना में 2016-17 में 6.6% थी। मांग के स्तर पर भारत का विकास मुख्यतः उपभोग आधारित रहा है।
- जीडीपी में अंतिम उपभाग का हिस्सा 2015-16 के 68.3% की तुलना में 2014-15 में क्रमशः 32.1% और 32.9% की तुलना में वर्ष 2015-16 में 32.2% था।
- निवेश दर (GDP में सकल पूँजी निर्माण) वर्ष 2013-14 और 2014-15 के क्रमशः 33.7% और 34.2% की तुलना में 2015-16 में 33.2% था।

मूल्य और मुद्रास्फीति

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान दालों, सब्जियों और मसालों में निम्न मुद्रास्फीति के कारण औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक रहा है।
- अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (CPI) यथा, औद्योगिक

- कामगारों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में मुद्रास्फीति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जुलाई) में औसतन 1.5% के आस-पास रही।
- 2016-17 में इसका औसत 1.7% और जुलाई 2017 में 1.9% रहा।
 - WPI खाद्य मुद्रास्फीति (खाद्य पदार्थ + खाद्य उत्पाद) जिसका औसत 2013-14 के दौरान 9.6% था जो सुधरकर 2014-15 में 4.3% और 2015-16 में 1.2% हो गया। वर्ष 2016-17 में इसका औसत 1.7% और यह अनुपात 2.9% 2017-18 (अप्रैल-जनवरी) तथा इस तरह जनवरी 2018 में 2.8% रहा है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

- सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं-उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ शामिल हैं-
 - अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्यों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु 2017-18 के बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन।
 - बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने का अनुमोदन।
 - अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकृत करना और
 - उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु, ताकि मूल्यों में सुधार हो उच्चतर समर्थन मूल्य की घोषणा।

जलवायु परिवर्तन वित्त

- भारत ने वर्ष 2016 में पेरिस समझौते की पुष्टि की।
- भारत का विस्तृत NDC लक्ष्य है 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना, गैर-जीवाशम इंधनों पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का हिस्सा 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक करना और अतिरिक्त बन और पेड़ लगाकर 2030 तक 2.5-3 GTCI के अतिरिक्त (संचयी) कार्बन सिंक का सृजन।
- वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए विकसित देशों द्वारा मुख्य रूप से सार्वजनिक स्रोतों का प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- विकासशील देशों के अनुकूलन एवं शमन जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्त का प्रावधान UNFCCC में सन्तुष्टि है और पेरिस समझौते में भी इसका उल्लेख किया गया है।
- जलवायु कार्बाइड्स से बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की उलझने पैदा होंगी, खासकर भारत जैसे देश में।

- भारत की जलवायु कार्बाइड्स का वित्तपोषण अब तक घरेलू संसाधनों से ही किया गया है।
- राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, वर्ष 2015 से 2030 के बीच, प्राथमिक घरेलू जरूरत 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की है।
- इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होगी।
- भारत जैसे विकासशील देशों में संसाधनों की कमी है और जलवायु परिवर्तन पर अच्छी-खासी राशि खर्च की जा रही है।
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन एवं शमन कार्यों को लागू करने के लिए, संसाधन की जरूरत और संसाधन के अंतर को देखते हुए, घरेलू और विकसित देशों से नए और अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होगी।
- जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के विकासशील देशों के प्रयासों के समर्थन हेतु ग्रीन जलवायु कोष (GCF), जो एक बहुपक्षीय कोष है, बनाया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ (FCA), स्वर्ण, SDR और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में आक्षित अंश RTP से मिलकर बना है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि चालू खाते की वित्तीय आवश्यकताओं एवं लाभ/हानि के मूल्यांकन की तुलना में अधिक पूँजी प्रवाह आ जाने के कारण होती है।
- पिछले कुछ समय में अन्य चीजों के साथ कच्चे तेल का मूल्य कम होने से व्यापार घाटा कम हुआ है।
- वित्त वर्ष 2016-17 में विदेशी मुद्रा भंडार 359.0 अरब अमरीकी डॉलर से 372.0 अरब अमरीकी डॉलर के बीच रहा।
- जून 2017 में अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 386.5 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें 16.5 अरब अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज हुई।
- फरवरी 2018 तक 421.7 अरब अमरीकी डॉलर था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी बाहरी आघात को झेलने की स्थिति में है।

रूपये की विनिमय दर

- वित्त वर्ष 2016-17 में रूपये की वार्षिक औसत विनिमय दर (RBI का संदर्भ दर) 65-68 रूपये प्रति अमरीकी डॉलर (मार्च

- 2017 में 65.87 रूपये प्रति डॉलर और जनवरी 2017 में 68.08 रूपये प्रति डॉलर) के बीच रही।
- 2017-18 (अप्रैल से अगस्त) के दौरान रूपये की औसत मासिक विनिमय दर 64.36 रूपये प्रति अमरीकी डॉलर रही।
 - जिसमें 2016-17 के वार्षिक औसत 66.96 रूपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में 4.0% की मूल्य वृद्धि हुई।
 - 2017-18 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, रूपये की औसत मासिक विनिमय दर (RBI) जनवरी 2017 में 65.08 प्रति अमरीकी डॉलर और जनवरी 2018 अक्टूबर में 63.64 डॉलर प्रति डॉलर के बीच परिवर्तित थी।

विदेशी ऋण

- मार्च 2017 में अंत में विदेशी ऋण भंडार 471.9 अरब अमरीकी डॉलर थी। जिसमें मार्च 2016 में अंत के स्तर से 2.7% की कमी आई।
- मार्च 2017 के अंत में दीर्घावधि ऋण कुल विदेशी ऋण का 8.14% (मार्च 2016 में अंत में 82.8%) रहा।
- मार्च 2017 के अंत तक वाणिज्यिक उधारियों का हिस्सा 36.7% के साथ सबसे अधिक रहा, इसके बाद NRI जमा (24.8%) और अल्पावधि व्यापार ऋण (18.3%) रहा।
- मार्च 2017 के अंत तक भारत के विदेशी ऋणों में 52.1% के साथ अमरीकी डॉलर सबसे पहला स्थान रहा, इसके बाद भारतीय रूपया (33.6%), SDR (5.8 भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व द्वारा मार्च 2016 के अंत में 74.4% की तुलना में मार्च 2017 के अंत में 78.4% हिस्सा को सुरक्षा प्रदत्त है।
- सरकार विदेशी ऋण प्रबंधन नीति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की निगरानी पर जोर देती है, भारी रकम के साथ रियायती शर्तों पर स्वायत्त ऋण बढ़ाती है।
- विभिन्न प्रतिवर्धों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधार को विनियमित करना और प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि पर व्याज दरों को तर्कसंगत बनाना, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋण, नियंत्रणीय सीमा पर बना रहे।

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 31 मई, 2017 को जारी वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2016-17 के अनंतिम अनुमानों और 2016-17 की चौथी तिमाही हेतु सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आकलनों के अनुसार नियत (2011-12) आधार मूल्यों पर वर्ष 2016-17 तथा 2015-16 तथा 2016-17 हेतु कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए GVA की वृद्धि दर क्रमशः 4.9% और 0.7% होने का अनुमान था।

- 1 जून से 24 अगस्त, 2017 की अवधि के दौरान सकल दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से देश में सामान्य से 6% कम वर्षा हुई।
- इस अवधि के दौरान सामान्य 663.5 मि.मी. वर्षा की तुलना में बास्तविक वर्षा 626.1 मि.मी. हुई।
- 36 पौसम विज्ञान संबंधी उप-प्रभागों में से 5 उप-प्रभावों में अधिक वर्षा हुई, 22 उप-प्रभावों में सामान्य वर्षा हुई और 9 उप-प्रभागों में कम वर्षा हुई।

उद्योग एवं अवसंचरना

- भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, सकल जोड़े गए मूल्य (GVA) में 2016-17 में जिसकी हिस्सोदारी 31.1% रही।
- वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2016-17 के ताजा अस्थायी अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें खनन, उत्पादन, बिजली तथा निर्माण शामिल है कि वृद्धि 2015-16 के 8.8% की तुलना में 2016-17 में 5.6% थी।
- उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि 2015-15 में 10.8% की तुलना में 2016-17 में 7.9% रही।
- सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि के लिए कई कदम उठाए, जिनमें नीति में संशोधन प्रक्रियागत सरलता और GST सुधार, में इन इंडिया पहल, स्टार्ट अप इंडिया और व्यापार करने में सहजता जैसे कई उन्नति संबंधी उपाय शामिल हैं।

(i) औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP):

- औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (IIP) आधार वर्ष 2011-12 के साथ जोकि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के निष्पादन का त्वरित अनुमान होता है, वर्ष 2015-16 में 3.3% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2016-17 में 4.6% बढ़ा।
- खनन क्षेत्र में 2015-16 में 4.3% की तुलना में 2016-17 में 5.3% की वृद्धि दर्ज हुई।
- निर्माण क्षेत्र में 2015-16 में 28% की तुलना में 2016-17 में 4.4% वृद्धि दर्ज की गई।
- बिजली क्षेत्र में 2015-16 के दौरान 5.7% की तुलना में 2016-17 में 5.8% वृद्धि दर्ज की गई।
- बुनियादी वस्तुओं के क्षेत्र में 2015-16 में 5.0% वृद्धि की तुलना में 2016-17 में 4.9% वृद्धि दर्ज की गई।
- केप्टिल गुड्स के क्षेत्र में 2015-16 के दौरान 3.0% वृद्धि की तुलना में 2016-17 में वृद्धि 3.2% थी।
- मध्यवर्ती क्षेत्र में 2015-16 में 1.5% की तुलना में 2016-17 में वृद्धि 3.3% थी। अवसंचरन/निर्माण वस्तु क्षेत्र में वृद्धि 2015-16 में 2.8% की तुलना में 2016-17 में 3.9% थी।

- उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र में 2015-16 में 3.4% वृद्धि थी जबकि 2016-17 में 2.9% वृद्धि दर्ज की गई।
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 2015-16 के दौरान 2.6% की तुलना में 2016-17 के दौरान 7.9% था।
- (ii) 8 प्रमुख अवसंरचना समर्थक उद्योग:
- अवसंरचना को समर्थन देने वाले 8 प्रमुख उद्योगों -कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, जिनकी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 40.27% हिस्सेदारी है।
- इसमें वर्ष 2015-16 में 3.0% की तुलना में 2016-17 में 4.8% की वृद्धि दर्ज हुई है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान कोयला क्षेत्र में 3.2% वृद्धि, रिफाइनरी उत्पाद में 4.9%, उर्वरक में 0.2%, इस्पात में 10.7% और बिजली में 5.8% वृद्धि हुई।
- कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट क्षेत्रों में 2016-17 में वृद्धि नकारात्मक रही।

सेवा क्षेत्र निष्पादन

(i) GVA एवं GCF सेवाएं:

- भारत के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र एक मुख्य कारक है जिसका 2016-17 में सकल मूल्य संयोजन (GVA) वृद्धि में 62% योगदान है।
- हालाँकि इस क्षेत्र की वृद्धि पिछले वर्ष के 9.7% की तुलना में 2016-17 में 7.7% हो गया है, तथापि यह अन्य दो क्षेत्रों से ऊपर बना हुआ है और 15 मुख्य अर्थव्यवस्था के बीच शीर्ष पर है।
- सेवाओं की वृद्धि में हल्कापन मुख्यतः दो सेवा श्रेणियों की वृद्धि में हास के कारण है- उद्योग, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाएं (7.8%); और वित्त, रियल स्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं (5.7%)।

(ii) सेवा उद्योग:

- वर्ष 2016-17 में परिवहन, व्यापार सेवाएं और वित्तीय सेवाओं में तेजी आने और यात्रा में अच्छी वृद्धि होने से सेवाओं के नियात में 5.7% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।
- यद्यपि, सॉफ्टवेयर सेवा नियात, जिसकी कुल सेवाओं में 45.2% के आसपास भागीदारी रही है, में 0.7% की थोड़ी गिरावट आई।
- दो प्रमुख सेवाओं, यात्रा सेवाएं तथा विविध सेवाएं श्रेणी जिसमें मुख्यतः वित्तीय सेवाएं और सॉफ्टवेयर हैं, में उच्चतर भुगतान हुआ और भारत की आयात-नियात सेवाओं में गिरावट और आयात सेवाओं में वृद्धि के कारण 2015-16 में कुल सेवाओं की प्राप्तियों में 9.0% की गिरावट दर्ज की गई।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार एवं मानव विकास

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मानव पूँजी में निवेश आर्थिक विकास के मुख्य घटक हैं।
- पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हेतु उचित कौशल प्रदान करने में निवेश द्वारा मानव पूँजी को बढ़ाकर भारत की निर्धनता काफी हद तक दूर की जा सकती है।

सामाजिक अवसंरचना पर व्यय

- किसी अर्थव्यवस्था के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश महत्वपूर्ण है। GDP के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय, जो 2016-17 (BE) के दौरान 1 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई।
- GDP के % के रूप में शिक्षा पर व्यय, जो 2009-10 में 2013-14 की अवधि के दौरान 3.1% के आसपास ठहरा हुआ था, 2014-15 में घटकर 2.8% हो गया।

शिक्षा में प्रगति

- शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति, 2016 (SAER, 2016) के अनुसार वर्ष 2014 से 2016 के बीच अखिल भारतीय स्तर पर सभी उम्र समूह में नामांकन में थोड़ी वृद्धि हुई।
- 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में नामांकन 2014 के 96.7% से 2016 में बढ़कर 96.9% हो गया।
- 15 से 16 वर्ष के आयु समूह में लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए नामांकन वर्ष 2014 के 83.4% से बढ़कर 2016 में 84.7% हो गया।
- सरकारी ग्रामीण विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने और गणितीय योग्यता में भी थोड़ा सुधार हुआ है।
- वर्ष 2010 के बाद यह पहली बार हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक श्रेणियों में गणित सीखने के मामले में सुधार हुआ है, जिसका श्रेय सरकारी विद्यालयों में बेहतर निष्पादन को जाता है।

रोजगार परिदृश्य

- कुछ समय से रोजगार और बेरोजगार अनुमानों को मापने के मुद्दों को लेकर बाद-विवाद चल रहा है।
- रोजगार संबंधी वर्तमान आँकड़े की कमियों को दूर करने हेतु रोजगार आँकड़े में सुधार के लिए टास्क फोर्स की रिपोर्ट में वर्तमान आँकड़ा पद्धतियों और रोजगार सृजन के स्रोतों का अनुमान लगाया गया।

- हाल के वर्षों में सृजित रोजगारों के त्वरित आकलन हेतु किसी वर्तमान आँकड़ा स्रोतों के उपयोग के संभावनाओं की जाँच की गई।
- भविष्य में आँकड़ों के संग्रह हेतु प्रक्रियाओं की अनुशंसा की ताकि रोजगार अनुमानों को ठोस स्थिति में रखा जा सके।

कौशल विकास

- एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की विविध मांगों को पूरा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए कुशल श्रम बल अनिवार्य है।
- भारत कौशल रिपोर्ट 2016 के अनुसार वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभ के केवल वर्ष 2040 तक जारी रहने का पूर्वानुमान है।
- अर्थव्यवस्था की कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के माध्यम से लघु आवधिक कौशल विकास योजना (PMKVY) के द्वारा लघुआवधिक कौशल प्रशिक्षण तथा मुख्यतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है।
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना के अंतर्गत सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रत्येक जिले में मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
- वर्तमान में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को महत्वाकांक्षी बनाने पर जोर है।

स्वास्थ्य एवं सफाई

- सरकार ने स्वास्थ्य हेतु सतत विकास लक्ष्य (SDG-3)- ‘सभी उम्र के लोगों के लिए वर्ष 2030 तक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी की भलाई में वृद्धि ‘प्राप्त करने का संकल्प लिया है।
- स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव सफाई और स्वच्छ वातावरण से है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBMG) के प्रारंभ होने के बाद स्वच्छता की प्रगति में उछाल आया है।
- सफाई और खुले में शौच से मुक्त (ODF) भारत का ध्यान केंद्रित करने से खुले में शौच करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक आकलन के मुताबिक 35 करोड़ से कम है।
- ग्रामीण सफाई का क्षेत्र अक्टूबर 2014 के 40% से बढ़कर अप्रैल 2017 में 63% हो गया है, जो केवल ढाई वर्षों में 21% अंकों की बढ़त है। इनके अतिरिक्त 1.87 लाख गाँव, 129 जिले और 3 राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, साथ ही पूरे भारत में 3.8 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है।

वित्तीय सुधार आयोग

- वर्तमान जरूरतों से सामंजस्य के लिए वित्तीय क्षेत्र के कानूनों के पुनर्लेखन हेतु मार्च 2011 में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की स्थापना हुई। आयोग ने 2013 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी।
- स्थायित्व और विकास परिषद; की अनुशंसा की है। FSLRC अनुशंसाओं के गैर-विधायी पक्षों में मोटे तौर पर बढ़े हुए उपभोक्ता संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र नियामकों की कार्यप्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने हेतु शासन बढ़ाने के सिद्धांतों की प्रकृति के हैं।
- यह रिपोर्ट दो भागों में है: पहले भाग का शीर्षक है ‘विश्लेषण और अनुशंसाएँ’ और दूसरे भाग का शीर्षक है ‘मसौदा कानून’ जिसमें मसौदा भारतीय वित्त कोड (IFC) शामिल है।

दिवाला और दिवालियापन कोड

- व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने हेतु वैश्विक मानदंडों के अनुरूप भारत में आवश्यक न्यायिक क्षमता वाले उद्यमों अनुकूल कानूनी दिवालियापन ढांचा प्रदान करने के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 22 अगस्त, 2014 को किया गया था। तदनुसार, दिवाला और दिवालियापन कोड (IBC) 2016 से प्रभाव में आया।
- लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और समयबद्ध रूप में निगम के लोगों, साझेदार फर्मों और व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाने और उसे संबंधित मामलों के लिए पुनर्गठन और दिवालियापन प्रस्ताव से संबंधित कानूनों के एकीकरण और संशोधन द्वारा सभी भागीदारों के हितों में संतुलन कायम करना।
- यह कोड निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करने हेतु एक ढांचे का प्रस्ताव करता है-
- किसी व्यापार में तनाव का जल्दी पता लगाना; कर्जदाता; वित्तीय ऋणदाता या परिचालन लेनदार द्वारा दिवालियापन प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ करना; अलाभकारी व्यवसायों का परिसमापन और विफल व्यवसायों के मूल्य में नुकसान से परहेज करना।
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इस कोड के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

- वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती और संस्थानीकरण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर फोरम के रूप में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की स्थापना 2010 में की गई थी।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड

- कमजोरियों के समाधान और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत नियामक, पर्यवेक्षकीय और अन्य नीतियों के क्रियान्वयन और विकास हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरणों, मानक स्थापित करने वाले निकायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को साथ लाकर वर्ष 2009 में G-20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की स्थापना की गई थी।
- भारत FSB का एक सक्रिय सदस्य है और पूर्ण अधिवेशन में इसके 3 सदस्य हैं।

अवसंरचना वित्त पोषण

- निवेश की आवश्यकताओं और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु जन संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु माध्यमों की तलाश आवश्यक है।
- इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में अवसंरचना में दीर्घावधि निवेश जुटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
 - (i) **बैंक वित्तपोषण:** बैंक अवसंरचना वित्त पोषण के मुख्य स्रोत रहे हैं। RBI 5/25 योजना; टेक आउट वित्तपोषण सहित अवसंरचना के लिए अग्रिमों के दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहा है।
 - (ii) **संस्थागत वित्त:** अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका के निर्वहन के विशिष्ट आदेश के साथ सरकार ने 'भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (IFCL), की स्थापना की है।
 - (iii) **अवसंरचना ऋण कोष (IDF):** भारत सरकार ने परिचालन संपत्ति के लिए परियोजना ऋणों का बैंकों से निश्चित आय बाजार में स्थानांतरण में सहायता हेतु अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और तीव्र करने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण कोष (IDF) की अवधारण को जन्म दिया।
 - (iv) **रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs)/ अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs):** ये न्यास-आधारित ढांचे हैं जो प्रभावी कर छूट और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाते हैं। इनविट्स तथा रीट्स हेतु दिशानिर्देश/ नियामक सेबी द्वारा 2014 में अधिसूचित किए गए थे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारियां

- निरंतर आधार पर व्यापक और समावेशी विकास हेतु अच्छी

- निरंतर आधार पर उपलब्धता पहली आवश्यकता है।
- उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा हेतु भी अवसंरचना महत्वपूर्ण है।
- निवेश जरूरतों की व्यापकता और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु सार्वजनिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के मेल द्वारा अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए रास्ते की तलाश आवश्यक है।
- PPP अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की कमी को पूरा करता है तथा सृजित परिसंपत्ति के रखरखाव और संचालन हेतु प्रभावी लागत बाली नई प्रौद्योगिकी लाकर प्रस्ताव के लिए लंबी अवधि का मूल्य प्राप्त करता है।
- भारत ने उच्च प्राथमिकता बाली सार्वजनिक सुविधाओं और अवसंरचना की डिलीवरी हेतु योजनाबद्ध तरीके से PPP कार्यक्रम लागू किया है तथा पिछले दशक में संभवतः विश्व के सबसे बड़े PPP कार्यक्रमों में से एक विकसित किया है।

G-20

- G-20 की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में यह मानकर की गई कि वैश्विक आर्थिक महत्व विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाजारों बाली अर्थव्यवस्था की ओर व्यापक रूप से स्थानांतरित हो रही है।
- विश्व के आर्थिक समन्वयक के रूप में G-8 की लगातार घटती भूमिका तथा आर्थिक प्रशासन पर वैश्विक बातचीत में उभरते बाजारों बाली अर्थव्यवस्था के बढ़ते वर्चस्व के कारण 1999 में G-8 के स्थान पर G-20 आ गया।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग के पाँच मुख्य स्तंभ हैं और जी-20 जैसे वैश्विक फोरम में उभरते हुए बाजार तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्तर हैं।
- स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के सुदृढ़ पाइपलाईन के विकास हेतु भारत बैंक के प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर काम कर रहा है।

भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) है।
- UNDP का उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल देशों में दरिद्रता उन्मूलन,

लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण समेत सतत मानव विकास हेतु क्षमता विकास के माध्यम से सहयोग करना है।

- ⦿ UNDP द्वारा उपलब्धत कराई जाने वाली सभी प्रकार की सहायता अनुदान के रूप में होती है।
- ⦿ UNDP को विभिन्न दाता देशों से प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक योगदान से धन मिलता है।
- ⦿ UNDP में भारत का वार्षिक योगदान 45 करोड़ डॉलर तक रहा है, जो विकासशील देशों के बीच बहुत बड़ा योगदान है।
- ⦿ वार्षिक योगदान के अतिरिक्त भारत सरकार स्थानीय कार्यालय के व्यय का भी आंशिक भुगतान करता है।
- ⦿ यूएनडीपी संसाधनों का देशवार आंबटन सहयोग ढांचे (CCF) के अंतर्गत 5 वर्ष में एक बार किया जाता है, जो प्रायः भारत की पंचवर्षीय योजना के साथ ही चलता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

- ⦿ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी।
- ⦿ इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना है।
- ⦿ इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है।
- ⦿ इसका सचिवालय काठमांडू में है। इसने इस क्षेत्र के नागरिकों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के समाधान हेतु कई क्षेत्रीय समझौते किए हैं तथा संस्थान बनाए हैं।
- ⦿ यह विचारों के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विकास के लिए आम सहमति के आधार का एक मंच है।
- ⦿ लघु अविधि में ही मुद्दे का समाधान हो जाने तक भुगतान शेष के संकटों के समाधान की राह प्रदान करने के इरादे से सार्क देशों के बीच मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था की गई थी।

सार्क विकास कोष

- ⦿ सार्क विकास कोष (SDF) की स्थापना 2008 में सार्क देशों द्वारा क्षेत्र में लोगों के जीवनयापन में सुधार और आर्थिक वृद्धि तेज करने, सामाजिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन हेतु की गई थी।
- ⦿ SDF में परियोजना की फंडिंग तीन मुख्य क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक और अवसरंचना) के अंतर्गत की जानी है।
- ⦿ अप्रैल 2010 में इसके शुरू होने से अब तक महिला सशक्तीकरण, कृषि, बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य, शिक्षा और ICT जैसे क्षेत्रों में सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत 13 परियोजनाएँ

शुरू की गई हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

- ⦿ आर्थिक मामलों के विभाग का द्विपक्षीय सहयोग डिवीजन G-8 देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता से संबंधित डील करता है।

द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति

- ⦿ भारत अवसरंचना, सामाजिक क्षेत्र के विकास और केंद्र एवं राज्य दोनों जगहों पर भारतीय नागरिकों के ज्ञान/कौशल की वृद्धि के लिए अपने द्विपक्षीय पार्टनरों से ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में विदेशी सहायता स्वीकार करता रहा है।
- ⦿ 2005 में जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार द्विपक्षीय विकास सहायता सभी G-8 देशों, USA, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपियन कमीशन से स्वीकार किए जा सकते हैं।
- ⦿ जी-8 से बाहर के यूरोपियन यूनियन के देश भी भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता दे सकते हैं बशर्ते वे न्यूनतम 2.5 करोड़ डॉलर वार्षिक विकास सहायता के लिए प्रतिबद्ध हों।

भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध

- ⦿ भारत ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 371.345 बिलियन येन के ऋण हेतु जापान सरकार से सरकारी विकास सहायता (ODA) हेतु वायदा प्राप्त किया है।
- ⦿ इसके साथ ही 31 मार्च, 2017 तक जापान सरकार से वायदा आधार पर सकल ODA ऋण 5009.091 बिलियन येन तक पहुँच गया है।
- ⦿ भारत और जापान सरकार के बीच वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु नोटों की अदला-बदली हुई है।

भारत-यूके द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम

- ⦿ यूनाइटेड किंगडम (UK) 1958 से भारत को विकास सहायता प्रदान करता रहा है। यूके से विकास सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों, झुग्गी विकास आदि के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को (SDG) प्राप्त करने के लिए मिलती हैं।
- ⦿ पारस्परिक सहमति वाली सरकारी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए यूके से सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के रूप में प्राप्त होती है।

- ३ वर्तमान में 3 राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार पर डीएफआईडी का फोकस है।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) विकास सहयोग

- ३ यूरोपीय संघ (EU) अनुदान के रूप में विकास सहायता उपलब्ध कराता रहा है। इसके प्राथमिकता क्षेत्र में वातावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है।
- ३ ईयू विकास सहयोग कार्यक्रमों को कंट्री स्ट्रेटजी पेपर (CSP) के माध्यम से लागू करता है।
- ३ CSP ईयू के उद्देश्यों, साझीदार देश की नीति संबंधी एजेंडा और देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है।

यूरोपीय निवेश बैंक

- ३ यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) यूरोपीय संघ की वित्त पोषण संस्था है, जिसका गठन पूँजीगत निवेश प्रदान करने के लिए रोम संधि (1957) के अंतर्गत 1958 में किया गया था।
- ३ EIB के सदस्य, यूरोपीय संघ के सदस्य देश होते हैं, जो सभी बैंक की पूँजी के ग्राहक होते हैं।
- ३ यूरोपीय संघ के बाहर ईआईबी का वित्त पोषण परिचालन सैद्धांतिक रूप से बैंक के निजी संसाधनों से किया जाता है और अधिकार मिलने पर संघ अथवा सदस्य देशों के बजटीय संसाधनों से भी किया जाता है।
- ३ इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईआईबी के कोष का उपयोग ईयू के साथ सहयोग हेतु समझौता पर दस्तखत करने वाले देशों में वित्तीय निवेश हेतु किया जाता है।

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग

- ३ जर्मनी 1958 से ही अपने आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (BMZ) के माध्यम से भारत को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।
- ३ वर्ष 2008 में जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (BMV) ने भी जर्मन सरकार के 'अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण कार्यक्रम' के अंतर्गत भारत को सहयोग आरंभ कर दिया, जो आधिकारिक विकास सहयोग के वर्तमान स्रोतों में कटौती किए बगैर जर्मनी सरकार की अतिरिक्त सहायता है।
- ३ जर्मनी और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल हैं: ऊर्जा सतत शहरी विकास तथा पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन।

भारत-फ्रांस विकास सहयोग

- ३ फ्रांस सरकार 1968 से ही भारत को विकास संबंधी सहायता

प्रदार कर रहा है किंतु फ्रांसीसी सहायता की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह फ्रांस से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबद्ध रही।

- ३ भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा वित्तपोषण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
- ऊर्जा सक्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा;
 - शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल आदि); और
 - जैव विविधता का संरक्षण।

नॉर्वे

- ३ वर्ष 2005 से आज तक करीब 24 एनजीओ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। भारत और नॉर्वे के वित्त मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के बीच समय-समय पर द्विपक्षीय बैठकें होती हैं।

स्विट्जरलैंड

- ३ स्विट्जरलैंड वर्ष 1964 से ही अनुदानों और तकनीकी सहायता के रूप में भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान रहा है।
- ३ स्विट्जरलैंड ने ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना हेतु 40% अनुदान और 60% ऋण वाला मिश्रित ऋण प्रदान किया था।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

- | |
|--|
| □ भारत को अमेरिका की द्विपक्षीय विकास सहायता 1951 में आरंभ हुई। भारत को अमेरिकी सहायता मुख्य रूप से अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होती है। |
| □ वर्तमान में यूएसएआईडी स्वास्थ्य प्रणाली, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, कम उत्सर्जन एवं ऊर्जा सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने, जंगलों के द्वारा कार्बन अवशोषण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी कर रही है। |
| □ वर्तमान में, यूएसएआईडी द्वारा भारत सरकार के साथ साझेदारी में निम्नलिखित सात परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; |
| <ul style="list-style-type: none"> ● कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हेतु साझेदारी समझौता; ● स्थायी जंगल और जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम हेतु साझेदारी समझौता; ● जल, स्वच्छता और सफाई (वॉश) हेतु साझेदारी समझौता; ● नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार हेतु साझेदारी समझौता; |

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार हेतु साझेदारी समझौता;
- स्वास्थ्य परियोजना हेतु साझेदारी समझौता;
- आपदा प्रबंधन समर्थन परियोजना और
- ऊर्जा सक्षमता प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार परियोजना हेतु साझेदारी समझौता।

अमरीकी व्यापार एवं विकास एजेंसी

- यूएस व्यापार एवं विकास एजेंसी (USTDA) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अमरीकी कारोबारों की प्रतिभागिता बढ़ाकर उन देशों की अर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देती है।
- एजेंसी का उद्देश्य व्यापार के लिए अवसंरचना निर्माण में मदद करना, अमरीकी तकनीकी विशेषज्ञता को विदेशियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और अमरीकी तथा उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्था के बीच दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारी में सहायता करना है।
- 1992 से अमरीकी व्यापार एवं विकास एजेंसी ने भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रायोजकों के साथ 100 से अधिक प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं को समर्थन दिया है।

कनाडा

- अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (IDRC) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है।
- वर्ष 2016-17 हेतु 34.1 लाख कनाडाई डॉलर की अनुदान सहायता वाले 10 प्रस्ताव अनुमोदन हेतु डाईए को प्राप्त हुआ था।

विकासशील देशों के लिए ऋण सहायता

- ऋण सहायता (LOC) भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा साख बनाने और लंबे समय के लिए साझेदारी निर्माण के कार्य में बहुत उपयोगी रहा है।
- यह योजना एक उभरते हुए आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और विकासशील देशों हेतु साझेदार के रूप में विदेशों में भारत की रणनीतिक राजनीतिक और आर्थिक हितों के विकास का भी प्रयास करता है।
- इस योजना से माल और भारतीय सेवाओं का निर्यात करता है।
- इस योजना से माल और सेवाओं का भारतीय निर्यात अब तक अप्रयुक्त बाजारों में बढ़ने की उम्मीद है और परियोजना प्लानिंग, सामाजिक-आर्थिक विकास के ऊर्जा, सिंचाई, कृषि परिवहन

आदि विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन एवं क्रियान्वयन में भारत की विशेषज्ञता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना सहयोगी और स्थायी मौद्रिक ढांचा के विकास हेतु की गई थी।
- वर्तमान में 189 देश IMF के सदस्य हैं। स्थापना के बाद से ही इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु इसके परिचालन में, जिसमें निगरानी, वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है, विकसित हो रहे विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों के हिसाब से विकास हुआ है।
- IMF के शासक मंडल में एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देशों से एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं।
- भारत के लिए वित्तमंत्री IMF के शासक मंडल हेतु पदन गवर्नर हैं।
- IMF में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के वैकल्पिक गवर्नर हैं।
- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र: दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (SARTTAC) की भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापना हेतु मार्च 2016 में भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किया गया था।
- SARTTAC छह सदस्य देशों-बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका को सेवाएँ देगा।

विश्व बैंक

- भारत गरीबी में कमी लाने, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, आदि क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के माध्यम से विश्व बैंक से कर्ज लेता है।
- भारत सरकार के लिए आईडीए कोष सबसे रियायती विदेशी ऋण है तथा इसका उपयोग मुख्यतः सहस्याद्विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देता है।
- 1956 में स्थापित आईएफसी में 184 सदस्य हैं। भारत आईएफसी

का संस्थापक सदस्य है, जो देश में निजी क्षेत्र के वित्त पोषक और सलाह को परिचालित करता है।

- भारत आईएफसी के सबसे बड़े पोर्टफोलियो जोखिम का विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है।

नवीन विकास बैंक

- नवीन विकास बैंक (एनडीबी) की स्थापना उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसरंचना और सतत विकास पहलों को समर्थन देने के उद्देश्य से ही गई है।
- एनडीबी के संस्थापक सदस्य हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), जिन्होंने प्रारंभिक योगदान द्वारा एक बिलियन अमरीकी डॉलर की पूँजी जुटाई है।
- नवीन विकास बैंक, (एनडीबी) ने 2015 में अपनी स्थापना के बाद से दो वर्ष पूरा कर लिए हैं।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक (MBD) है जिसकी स्थापना अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा एशिया में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, उत्पादक संपत्तियों का सृजन और अवसंरचना में सुधार के लिए वर्ष 2016 में स्थापित किया गया।
- भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है।
- एआईआईबी की बीजिंग में स्थापना हेतु वर्ष 2016 में भारत और 20 अन्य देशों ने अंतर्संकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया।

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष

- कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र के 13 वें विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के रूप में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और भूख उन्मूलन के प्रति समर्पित है।
- 176 देश IFAD के सदस्य हैं और इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है-
 - सूची (क) विकसित देश,
 - सूची (ख) तेल उत्पादक देश और
 - सूची (ग) विकासशील देश।
- भारत सूची (ग) में है। भारत कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD का एक संस्थापक सदस्य है।
- इसने अब तक IFAD के संसाधनों में 14.7 करोड़ अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) साझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- GEF पात्र देशों को 5 मुख्य क्षेत्रों में अनुदान देता है: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अवक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय जल, रसायन एवं कचरा।
- यह जैविक विविधता पर सम्मेलन (CBD), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन (UNICCC), स्थानी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोल्म सम्मेलन (POPS), बंजर से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी), मरकरी के विषय में मिनामाटा सम्मेलन के लिए वित्तपोषक तंत्र के रूप में भी काम करता है तथा ओजोन परत (MP) नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉनट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में भी मदद करता है।

एशियाई विकास बैंक

- भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) का एक संस्थापक सदस्य है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी।
- एडीबी के 68 सदस्य हैं (49 क्षेत्रीय और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों सहित) और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
- दिसंबर 2016 तक एडीबी में भारत का 6,72,030 शेयरों के साथ 6,331% शेयर होल्डिंग तथा मताधिकार 5.363% है।
- बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों (DMC) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के कार्य में लगा है। इस कार्य हेतु ऋण और इक्विटी निवेश, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और अन्य सलाहकार सेवाएँ, गारंटी, अनुदान और नीति चर्चाएं इसके मुख्य यंत्र हैं।
- भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूर्ण बाह्य ऋण प्रबंधन नीति के अंतर्गत जिसमें रियायती शर्तों पर कम व्ययशील स्रोतों से और दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले कोष प्राप्त करने पर केंद्रित है, एडीबी से ऋण प्राप्त करता है। भारत ने 1986 में एडीबी से ऋण लेना शुरू किया।

मुद्रा एवं सिक्के

- सिक्कोरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है।
- यह नौ इकाइयों-चार टकसाल, चार प्रेस (दो मुद्रा नोट प्रेस एवं

- दो प्रतिभूति प्रेस) एवं एक कागज मिल के निगमीकरण से बनी है, जो पहले वित्त मंत्रालय के अधीन थी।
- कंपनी RBI को मुद्रा/बैंक नोट एवं सिक्के, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टाप-पत्र, डाक विभाग को डाक स्टेशनरी एवं टिकट, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट, बीजा स्टिकर एवं यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज की आपूर्ति करती है।
 - अन्य उत्पादों में स्मारक सिक्के, MICR एवं NON-MICR चेक आदि शामिल हैं।

नए मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करना

- सरकार द्वारा आकार, विषय, रंग और डिजाइन के अनुमोदन के बाद 2000 रूपये मूल्यवर्ग के नए नोट जारी किए गए।
- निर्दिष्ट बैंक नोटों को वैध मुद्रा की मान्यता खत्म किए जाने के बाद इससे तेज पुनर्मुद्रीकरण में सहायता मिली।

SBNकी वैधता की समाप्ति

- काले धन, FICN और अन्य विभिन्न विध्वंसकारी गतिविधियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए 8 नवंबर, 2016 के बाद 500 रूपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों यानी निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) की वैधता समाप्त कर दी गई थी।
- SBN को रद्द करने को सार्विधिक समर्थन हेतु यथाशीघ्र एक अध्यादेश लाया गया था ताकि अवांछित तत्वों द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की राह बनाने से रोका जा सके और RBI की देयता का शमन किया जा सके।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

- भारत सरकार ने अपने आर्थिक कार्यक्रम के मूल तत्वों में से एक अवसंरचना में निवेश किया है।
- 1992 से 2010 के दौरान अवसंरचना में भारत का औसत निवेश GDP का 4.7% था; इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों में इक्विटी के प्रवाह में कमी आई है जिससे आगे निवेश बाधित हुआ है।
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का निर्माण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में तथा रूकी हुई परियोजनाओं समेत अवसंरचना विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों से इक्विटी निवेश पाने के उद्देश्य से की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते एवं ढांचा

- भारत सरकार ने विस्तृत आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जो वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ था, के एक भाग के रूप में अन्य देशों के साथ

द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIT)/द्विपक्षीय निवेश प्रोत्तरि एवं सुरक्षा समझौते (BIPA) करने की शुरूआत की थी।

- BIT अनिवार्यतः एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारा हेतु एक स्वतंत्र फोरम प्रदान करते हुए व्यवहार का एक न्यूनतम मानक और सभी मामले में भेदभाव नहीं होता सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के सुविधा स्तर को बढ़ाता है और उनमें विश्वास की वृद्धि करता है।

व्यय विभाग

- व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देख-रेख करने वाला नोडल विभाग है।
- यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, ऑडिट टिप्पणियों/अवलोकनों की मॉनीटरिंग, केंद्र सरकार के खातों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है।
- यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों का अनुकूलन करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में भी सहायता करता है।
- विभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं-
 - वित्तीय नियमों/विनियमों/आदेशों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालय/विभागों में व्यय प्रबंधन की देखरेख
 - प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्व मंजूरी का मूल्यांकन तथा राज्यों को हस्तांतरित थोक केंद्रीय बजटीय संसाधनों की हैंडलिंग
 - कार्मिक एवं स्थापना डिवीजन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का नियमन
 - पेंशन मामलों पर नीति और पदों के सृजन एवं उन्नयत तथा केंद्र की समीक्षा जैसे कार्मिक मामलों से संबद्ध मामलों सहित सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों (DFPR) आदि जैसे विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

महालेखा नियंत्रक

- वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक (CAG) भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है और तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेखा जिम्मेवार है।
- CAG का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, देनदारियों और विभिन्न राजकोषीय सूचकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है।
- संविधान की धारा 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक की सलाह पर वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

- इन दस्तावेजों के साथ 'लेखा एक नजर में' शीर्षक वाला MIS रिपोर्ट तैयार कर संसद में वितरित किया जाता है।

डिजिटलीकरण पहलें

- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (PFMS) CAG द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित, स्वामित्व वाला तथा क्रियान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
- PFMS का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान, प्राप्ति और लेखांकन के व्यापक नेटवर्क के स्थापना द्वारा एक समर्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पद्धति की सुविधा प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य है-
 - (i) समय पर कोषों का अंतरण और
 - (ii) कोषों के जारी होने से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में इसके जमा होने तक पूरी ट्रैकिंग।
- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्ति हेतु सक्षम बनाकर पीएफएमएस डिजिटल भारत पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण, योगदान करता है।
- विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय आईटी पद्धतियों के साथ एकीकरण PFMS का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे योजना कार्यान्वयन हेतु अंतरित कोषों की पूरी ट्रैकिंग और कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्त के समग्र अवलोकन की सुविधा मिलेगी।

गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (NTRP) प्रारंभ करना

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के अलावा सरकारी राजस्व की तेज वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पद्धति का विकास किया गया है जिसके द्वारा आम जनता सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों/PSU आदि से मंत्रालयों/विभागों को प्राप्तियाँ लेने में सुविधा होगी।
- वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा प्रारंभ कर उनकी अधिकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- इस आईटी पहल से पेंशन एवं भुगतान संबंधी सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा तथा पेंशनरों की ट्रैकिंग सहित विभिन्न सेवा प्रदान करता है।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) की स्थापना वर्ष 1990

में केंद्रीय (सिविल) पेंशनधारियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लेखा एवं भुगतान के लिए किया गया था।

- CPAO व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के अधीन एक सहायक कार्यालय है।
- यह अधिकृत बैंकों के जरिए केंद्र सरकार (सिविल) के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान को योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- इसके मुख्य कार्य हैं-
 - पेंशन वितरण बैंकों के CPPC (केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया केंद्रों) को नए पेंशन और पेंशन पुनरीक्षण मामलों में भुगतान के लिए प्राधिकृत करने हेतु स्पेशल सील ऑथोरिटीज (SSA) निर्मात करन;
 - पेंशन अनुदान और संबंधित लेखा हेतु बजट की तैयारी;
 - केंद्रीय सिविल पेंशनरों के पीपीओ और पुनरीक्षण प्राधि कारों में दर्ज सभी विवरणों वाले डाटा बैंक का अनुरक्षण;
 - केंद्रीय सिविल पेंशनरों की शिकायतों को संभालना।
- सातवें सीपीसी पेंशन संशोधन की ई-संशोधन उपयोगिता: सीपीएओ ने ई-संशोधन उपयोगिता विकसित की है जिसमें सीपीओज को भेजे जाने वाले सातवें सीपीसी पेंशन मामलों के संशोधन के लिए ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित संशोधन अधि कार पत्र भेजना भी शामिल है। इस सुविधा का इस्तेमाल केंद्र नागर मंत्रालयों/विभागों के 600 भुगतान एवं लेखा कार्यालय कर रहे हैं।
- सीपीएओ पेंशन हेतु अधिकार प्राप्त सभी 24 बैंकों के 39 सीपीसीसी (केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्र) को डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक विशेष सील प्राधिकार (E-SSA) उपलब्ध करा रहे हैं। इस सेवा के आधार पर लिखित शब्द सीमा पीएओज से सीपीएओ तक और सीपीओ से बैंकों तक सीमित रह गई है।
- ऑनलाइन पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स नंबर आवंटन: वर्ष 2016 से केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग (CPAO) ने वेतन और लेखा कार्यालय की सीपीएओ वेबसाइट पर ऑनलाइन पीपीओ नंबर आवंटन की सुविधा आंरंभ की है ताकि कागज आधारित पीपीओ नंबरों के आवंटन की आवश्यकता न पड़े।
- इसके आधार पर कागजी कार्य कम और कार्य प्रक्रिया पहले से तेज हो सकेगी। इसकी मदद से समय और डाक खर्च की भी बचत होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान (E-PPO): केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) द्वारा कागज रहित कार्यप्रणाली हेतु पेंशन के लिए 24 आधिकारिक बैंकों के 39 केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्रों को प्रस्तावित डिजिटलीकृत हस्ताक्षरित ई-विशेष सील प्राधिकार

- कार्यरत है। साथ ही, सभी सीधीपसीसीज अपने एसटीटीपी सर्वरों में नए तथा संशोधित पेंशन मामलों के डिजिटल हस्ताक्षरित विशेष सील प्राधिकार प्राप्त कर रहा है।
- वेब रिस्पाइसिव पेंशनर्स सेवा (WRPS): भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऑनलाइन अवसरंचना में सुधार के जरिए तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाया जाए।
 - यह कार्य सुरक्षित एवं स्थायी डिजिटल अवसरंचना; सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्रारूप में; वृहद डिजिटल शिक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है।
 - CPAO की सोशल मीडिया उपस्थिति: पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को बेहतर सेवा और उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के फेसबुक, ट्रिवटर और यूट्यूब पर अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं।
 - पेंशनधारी को CPAO से संपर्क करने के लिए यह नवीनतम तरीके हैं।
 - पेंशनधारकों एवं अन्य लाभार्थियों को ई-संशोधन उपयोगिता के लिए WRPS सुविधा के बेहतर इस्तेमाल हेतु कई शिक्षाप्रद वीडियो भी बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (NIFM) की स्थापना वर्ष 1993 में एक पैंजीकृत सोसायट के तौर पर की गई।
- केंद्र के केबिनेट में विचार किया गया कि NIFM, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भर्ती किए गए और सरकार में लेखा एवं वित्त से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ एवं उच्च प्रबंधकीय पदों पर तैनात किए गए अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान होंगा।
- संस्थान का लक्ष्य ना सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में वित्तीय प्रबंधन एवं संबंधित विधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर विकसित होना है।
- संस्थान संकाय की योग्यता तथा क्षमता के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करता है।
- वर्तमान में यह संस्थान AICTE द्वारा अनुमोदित 5 दीर्घावधि कार्यक्रम संचालित करता है;
- लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन नए चयनित व्यक्तियों हेतु वर्ष का पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा; सरकारी वित्त प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

- केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के अधीन अन्य संगठनों के अधिकारियों हेतु प्रबंधन में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय प्रबंधन) सक्षम शोध कर्ताओं, शिक्षकों और सलाहकारों के निर्माण हेतु प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय बाजार)।

डिजिटलीकरण यहलें

- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (PFMS) CGA द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित, स्वामित्व वाला तथा क्रियान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
- PFMS का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान, प्राप्ति और लेखांकन के व्यापक नेटवर्क के स्थापना द्वारा एक समर्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पद्धति की सुविधा प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य-
- (i) समय पर कोषों का अंतरण और
- (ii) कोषों के जारी होने से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में इसके जमा होने तक पूरी ट्रैकिंग। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्ति हेतु सक्षम बनाकर PFMS डिजिटल भारत पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण, योगदान करता है। विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय IT पद्धतियों के साथ एकीकरण PFMS का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे योजना कार्यान्वयन हेतु अंतरित कोषों की पूरी ट्रैकिंग और कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्त के समग्र अवलोकन की सुविधा मिलेगी।

- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (NTRP) प्रारंभ करना: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के अलावा सरकारी राजस्व की तेज वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पद्धति का विकास किया गया है जिसके द्वारा आम जनता सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों/PSU आदि से मंत्रालयों/विभागों को प्राप्तियां लेने में सुविधा मिलेगी।
- वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा (WRPM) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा प्रारंभ कर उनकी अधिकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- इस आईटी पहल से पेंशन एवं भुगतान संबंधी सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा तथा पेंशनरों की ट्रैकिंग सहित विभिन्न सेवा प्रदान करता है।

सामान्य वित्तीय नियमों का पुनरीक्षण

- सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों से संबंधित नियम एवं आदेश हैं।

- सामान्य वित्तीय नियम पहली बार 1947 में, वित्तीय मामलों से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों और अनुदेशों को एक साथ लाकर, जारी किए गए थे।
- इनमें क्रमशः संशोधन कर इन्हें GFR 1963 और GFR 2005 के रूप में जारी किया गया।
- सेवाओं की समयानुसार डिलीवरी की सुविधा में जरूरी लचीलापन प्रदान करते हुए राजकोषीय प्रबंधन की उत्तर, दक्ष और प्रभावकारी फ्रेमवर्क में सक्षमता हेतु सामान्य वित्तीय नियम-2017 जारी किया गया।
- विगत कुछ वर्षों में सरकार ने अपने व्यवसाय संचालन के तरीकों में कई अभिनव बदलाव किए हैं।
- गैर-योजना और योजना व्यय में अंतर को हटाया, रेलवे बजट को सामान्य दस्तावेज के माध्यम से परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना जैसे सरकारी बजट में सुधार इन सभी का GFR में परिलक्षित होना जरूरी है।
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (PFMS) पर ज्यादा ध्यान, अधिकारों का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना पर भरोसा, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटिंग (GEM) पोर्टल, गैर-कर राजस्व पोर्टल जैसे नए ई-साइटों के लागू होने से भी वर्तमान GFRS के पुनरीक्षण की जरूरत हुई ताकि बदलते व्यावसायिक वातावरण के साथ सामंजस्य रखा जा सके।
- इसका उद्देश्य था GFR को जबाबदेही के सिद्धांतों और वित्तीय अनुशासन तथा यथेष्ट प्रशासनिक तत्परता की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दक्षता बनाए रखना।
- स्वशासी निकायों को चलाने के तरीकों के अतिरिक्त गैर-कर राजस्वों, उपयोग प्रभारों, ई-प्राप्ति पोर्टल पर नए नियम जोड़े गए थे।

राजस्व विभाग

- राजस्व विभाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी राजस्व मामलों के संबंध में दो वैधानिक निकायों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के माध्यम से नियंत्रण रखता है।
- यह विभाग केंद्रीय बिक्री कर, स्टांप इयूटी और अन्य संबंधित राजकोषीय विधियों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियामक उपायों को लागू करने तथा प्रशासन संबंधी कार्य भी करता है।
- यह विभाग अफीम का उत्पादन और इसके उत्पादों के निष्पादन पर भी नियंत्रण रखता है।

वस्तु एवं सेवा कर

विधायी विकास

- राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2006-07 में पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन 2016 में किया गया था।
- वर्तमान में GST परिषद GST संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है।
- केंद्रीय GST बिल 2017;
- एकीकृत GST बिल 2017;
- GST (राज्यों को क्षतिपूर्ति) बिल 2017;
- पारित कर देश में GST जुलाई 2017 में लागू किया गया था।
- इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय निर्माणों (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे सामान्यतः प्रतिकारी शुल्क जाना जाता है।
- विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और केंद्रीय अधिप्रभारों एवं चुंगियों में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति से संबद्ध है को सम्मिलित करना;
- वस्तुएँ एवं सेवाओं के अंतर्जनीय के लेन-देन पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाना;
- वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत मानव खपत हेतु अल्कोहॉलिक शराब के अतिरिक्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का वित्त शामिल करना।
- पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में यह प्रावधान है कि इन वस्तुओं को GST के दायरे में GST की अनुशंसा पर अधिसूचित तिथि तक नहीं रखा जाएगा।
- संसद एवं राज्य विधानसभाओं को वस्तु एवं सेवा कर को संचालित करने वाले नियमों को बनाने हेतु समर्वर्ती शक्ति प्रदान करना।
- वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई जिसकी अवधि 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रत्यक्ष कर

- केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा बनाया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड (CBDT) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व वाला शीर्ष निकाय है।

- यह आयकर विभाग (ITD) का केंद्र नियंत्रक प्राधिकारी होता है।
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे सीबीडीटी ने आयकर विभाग के विस्तृत कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य है करदाता अनुकूल क्षेत्र की स्थापना, कर-आधार में वृद्धि करना, पर्यवेक्षण में सुधार और सरकार के लिए अधिक राजस्व पैदा करना।
- करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन और बिना हस्तक्षेप वाला और गैर-विरोधात्मक कर प्रशासन के सृजन को बढ़ाने का प्रयास है।

राजस्व संग्रह

- प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रह निरंतर बढ़ रहा है। उन्नत कर प्रशासन और बेहतर कर अनुपालन के परिणाम स्वरूप एक निर्धारित अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में सकारात्मक झुकाव दिख रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान 8,49,818 करोड़ रुपये (अनंतिम) की राशि का संग्रह हुआ था। जिसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष के संग्रह रुपये 7,41,945 करोड़ से लगभग 14.54% थी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सिंतंबर 2017 तक प्रत्यक्ष करों का कुल संग्रह 3,86,274 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में संग्रह 3,33,68 करोड़ रुपये था।
- विंगत 5 वर्षों के दौरान करदाताओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और निर्धारण वर्ष 2012-13 के 4.72 करोड़ से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में 6.43 करोड़ (अनंतिम) हो गया है।

ई-गवर्नेंस पहले

पैन (PAN)

- (i) स्थायी खाता संख्या (PAN): स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं और इसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवंटित कियाजाने वाला 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक संख्या है। स्थायी खाता संख्या (PAN) विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेन-देन को लिंक करने में सक्षम बनाता है।

पैन के माध्यम से जोड़े गए लेन-देन में भुगतान, TOSQ/TCS क्रेडिट, आय/संपत्ति के रिटर्न, विशिष्ट लेन-देन, पत्राचार आदि। इस तरह पैन आयकर विभाग के लिए किसी व्यक्ति हेतु पहचानकर्ता का काम करता है।

- (ii) सामान्य व्यावसायिक पहचान संख्या (CBIN/BIN): पैन के पहचानकर्ता की भूमिका अब आयकर विभाग से बाहर भी फैल गई है क्योंकि अब इसकी जरूरत बैंक खाता खोलने, डी मैट

खाता खोलने, सेवा कर हेतु पैंजीकरण प्राप्त करने, बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क पैंजीकरण आदि के लिए भी है।

- (iii) एक व्यक्ति एक (PAN): आयकर विभाग किसी एक व्यक्ति को एक ही पैन रखने की अनुमति देता है।

डुप्लिकेट (PAN) निर्गत होने के रोकने के लए 'फोनेटिक मैचिंग एल्गोरिदम' वाले सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा डाटा के प्रतिलिपिकरण की जाँच की जाती है।

आधार नामांकन के माध्यम से संग्रहित बायोमीट्रिक डाटा का फायदा उठाने के क्रम में आधार कार्ड को पहचान के वैध प्रमाण (POI), जन्म तिथि के प्रमाण (POB) और पते का प्रमाण (POA) आयकर नियम 1962 के अंतर्गत पैन के आंवटन हेतु दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया था।

- (iv) पैन सेवा प्रदाता: पैन से जुड़ी सेवाएँ जैसे पैन आवेदन-पत्र प्राप्त करना, जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच, पैन आवेदन-पत्र का डिजीटलीकरण, डाटा की NCC (राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र) पर अपलोडिंग, पैन कार्डों की छापाई और पैन कार्डों को भेजना को पैन सेवा प्रदाता मेसर्स UTIITSL और मेसर्स NSDLE गैण को आउटसोर्स किया गया है।

- (v) पैन सत्यापन सुविधा: पैन सत्यापन सुविधा CBDT के ई-फाइलिंग सर्वर के माध्यम से इंटरनेट द्वारा सरकारी विभागों को प्रदान किया जाता है।

- (vi) शिकायत निवारण मशीनरी: पैन से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी पूर्णतः स्पष्ट है।

पैन से संबंधित कोई शिकायत जब भी प्राप्त होती है उसे दिशानिर्देश और वर्तमान अनुदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने सहित उचित कार्रवाई की जाती है। केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग पद्धति के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

पैन से जुड़ी सभी शिकायतें CPGRAMS के बेबसाइट से डाउनलोड की जाती हैं और उनकी जाँच के बाद निदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

नई पहले

- (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का ई-बिज पोर्टल के साथ एकीकरण

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ई-बिज कार्यक्रम एक मिशन मोड परियोजना है, जो निवेशकों को लाइसेंसिंग, पर्यावरण एवं भूमि मंजूरी, स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से अनुमोदन जैसी एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है।

- ➲ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) का ई-बिज पोर्टल के साथ पैन एवं टैन सेवा का L1 L3 एकीकरण पूरा कर लिया गया है।

(ख) MCA पोर्टल के साथ एकीकरण

- ➲ एमसीए पोर्टल पर सामान्य एप्लीकेशन प्रपत्र 'स्पाइस' (INC 32) के प्रयोग द्वारा नई कंपनियों के पैंजीकरण की प्रक्रिया के साथ पैन एवं टैन प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया गया है।
- ➲ पैन एवं टैन का आवंटन MCA पोर्टल से प्रपत्र 49A और 49B में आवेदन डाटा प्राप्त होने के समय से चार घंटे के टर्न अरांड समय (TAT) में किया जा रहा है।
- ➲ इस प्रक्रिया द्वारा नई कंपनियों के समावेशन का प्रमाण-पत्र पर CIN के साथ पैन भी छापा जा रहा है।

(ग) OsQC और ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए कागज विहीन आवेदन

- ➲ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र और आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए पैन के आवेदन हेतु ऑनलाइन पेपर लेस प्रक्रिया दोनों सेवा प्रदाताओं मेसर्स NSDL और मेसर्स UTIITSLS के वेबसाइटों पर प्रारंभ किया गया है।
- ➲ इस प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र या ई-सिग्नेचर वाला कोई व्यक्ति पैन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 49A द्वारा आवेदन कर सकता है।
- ➲ पहचान के प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण की स्केन की गई प्रतियों के साथ फोटो और हस्ताक्षर सहित डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड कर सकता है।

(घ) आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस आवेदन

- ➲ आधार डाटा और आवेदन के फोटो का उपयोग करते हुए पैन के आवंटन हेतु दूसरी पेपरलेस प्रक्रिया आरंभ की गई है।
- ➲ इस प्रक्रिया को E-KYC प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक द्वारा सीधे आधार डाटाबेस से आवेदक का जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो लिया जाता है।

(ङ) e-PAN कार्ड

- ➲ सभी नए आवेदकों और कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को अब ई-आधार के तर्ज पर ई-मेल द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित ई-पैन कार्ड प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। इस पहल से डाक द्वारा पैन कार्ड के प्रेषण के समय में कमी आई है।

(च) सामान्य सेवा केंद्र

- ➲ देश के दूर-दराज क्षेत्रों में पैन आवेदन प्राप्त करने के लिए पैन सेवा प्रदाताओं मेसर्स UTIITSLS और मेसर्स NSDLGOV के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (ग्राम स्तरीय उद्यम) को नामांकित किया गया है।

आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

- ➲ आयकर रिटर्नों की ई-फाइलिंग सर्वप्रथम 2006-07 में निगमों हेतु शुरू की गई थी।
- ➲ ई-फाइल रिटर्नों की संख्या वित्त वर्ष 2006-07 के लगभग 4 लाख के बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 में 5.28 करोड़ हो गई है।
- ➲ यह सुविधा करदाताओं के लिए निःशुल्क है।
- ➲ विभाग में फाइल किए गए कुल रिटर्नों का लगभग 98% ई-रिटर्न है।

व्यावसायिक प्रक्रियाओं की आईटी सक्षमता

- ➲ कर प्रशासन के अंतर्गत व्यावसायिक प्रक्रियाओं की रि-इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कर्मचारियों को सुसंगत और सक्षम रूप से परिणामों की डिलीवरी में समर्थ बनाता है।
- ➲ आयकर विभाग के सभी आंतरिक प्रक्रियाओं के कंप्यूटरिकरण हेतु नए एप्लीकेशन के विकास के साथ ही आयकर व्यावसायिक एप्लीकेशन (ITBA) की परिकल्पना की गई थी।
- ➲ ITBA का मुख्य उद्देश्य सभी आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ई-समर्थ बनाना है ताकि निर्णय लेने और रिपोर्टिंग, पत्राचार और आंतरिक अनुमोदनों में परिश्रम को कम करने हेतु सूचना और कार्य को एक ही स्थान पर लाकर अधिकारी और कर्मचारी अपनी दक्षता बढ़ाने में समर्थ हो पाएँ।

प्रमुख नागरिक उपयोगी पहलें

आयकर सेवा केंद्र

- ➲ दूसरी ARC के 12 रिपोर्ट का लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नागरिक केंद्रित शासन है।
- ➲ आयकर सेवा केंद्र (ASK) आयकर विभाग के सिटिजन चार्टर के कार्यान्वयन हेतु सिंगल विंडो पद्धति और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु एक तंत्र है।
- ➲ ASK में प्राप्त सभी पत्रों और रिटर्नों का नियमित निष्पादन अनिवार्य है जिसकी मॉनिटरिंग और समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा सकती है।

आयकर सेतु

- ➲ स्मार्ट फोन का उपयोग दिनानुदिन बढ़ रहा है। आयकर दाता की सेवाओं और मोबाइल द्वारा पहुँच के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप (Android/IOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और आयकर दाता सेवाओं (TPS) के अनुभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट पर एक उत्तरदायी संस्करण 'आयकर सेतु '2017 में आंशका किया गया है।
- ➲ आयकर सेतु से आयकरों के ऑनलाइन भुगतान, करों की गणना, ई-निवारण मोड्यूल के जरिए शिकायतों का निवारण, कर ज्ञान, TOsQ/ट्रेसेज और अन्य विशिष्टताओं की सुविधा होगी।
- ➲ TOsQ SMS चेतावनी योजना

प्रचार अभियान

- ➲ विगत कई वर्षों से विभाग ने अपनी संवाद रणनीति में बदलाव द्वारा शुद्ध प्रवर्तन एजेंसी की बजाए करदाता सुविधा प्रदाता, सेवा प्रदाता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की स्वीकृति संबंधी संवाद को प्रभावी रूप से लागू किया है।
- ➲ वित्त वर्ष 2016-17 में बहुत सारे प्रचार अभियान चलाए गए। जिनमें अग्रिम कर के भुगतान की निर्धारित तिथि, रिटर्न को फाइल करना, TOsQ विवरणों की फाइलिंग और TOsQ प्रमाण-पत्रों को जारी करना, वार्षिक सूचना रिटर्न की फाइलिंग, टीआरपी की सेवाओं, सतर्कता जागरूकता सत्ता, आय घोषणा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, विमुद्रीकरण और पुराने बकायादारों के नामों का प्रकाशन जैसे जागरूकता अभियान।

सोशल मीडिया

- ➲ विभाग ने दिसंबर 2015 से सोशल मीडिया के माध्यम से अनुमोदित सोशल मीडिया नीति के अनुसार सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू किया गया है।
- ➲ केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) का कार्य सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाने और उनका संग्रह करने, तस्करी रोकने और शुल्कों के अपवंचन से संबंधित नीति बनाने और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों से संबंधित है।
- ➲ CBEC के मुख्य उद्देश्य हैं: अप्रत्यक्ष कर राजस्वों का संग्रह, करदाता सेवाओं में सुधार, निष्पक्ष व्यापार हेतु अनुपालन में सुधार तथा सीमा नियंत्रणों को लागू करना और दक्षता तथा पारदर्शिता को उत्तर करना और ऐसे उद्देश्यों हेतु मानव संसाधनों का विकास।
- ➲ CBEC में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।

विवाद निपटारा एवं अपील

- ➲ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सेवा कर नियमों (वित्त अधिनियम, 1944) के अंतर्गत मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है।
- ➲ आयुक्त (अपील) वाली अपीलीय तंत्र सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद के आयुक्त से नीचे रैंक वाले अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हैं।
- ➲ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण, CESTAT (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तों हेतु एक स्वतंत्र मंच है और आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दूसरा अपील है।

सीमा शुल्क

- ➲ भारतीय सीमा शुल्क EDI पद्धति (IIS) एक EDI आधारित कार्य प्रवाही एप्लीकेशन है जो
 - (i) आयात एवं निर्यात घोषणाओं/मालसूचियों की फाइलिंग और प्रोसेसिंग,
 - (ii) चुने गए मालों का प्रणाली मूल्यांकन,
 - (iii) माल निकासी के प्रभारी और अन्य संबद्ध एजेंसियों के साथ संदेश का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने में सक्षम बनाता है।
- ➲ 214 स्थानों पर कार्यान्वित ICEL के दायरे में सामग्रीवार देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% से अधिक और मूल्यवार 90% आता है।
- ➲ 2016 में 6 मुख्य भागीदार सरकारी एजेंसियों (PGA) के साथ सीमा शुल्क EDI स्थलों पर व्यापार को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) को आयातित मालों की निकासी हेतु एकमात्र स्थल, इंटरफेस के रूप में प्रारंभ किया गया।
- ➲ स्विफ्ट आवेदकों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक 'एकीकृत घोषणा' हेतु सक्षम बनाता है।
- ➲ जिसमें सीमा शुल्क, FSSI, पादक संग्रहालय, पशु संग्रहालय, ड्रग नियंत्रक वन्य जीवन नियंत्रण व्योरों और वस्त्र समिति की जरूरतों के अनुसार सूचनाएँ संग्रहित होती हैं।
- ➲ इससे इन एजेंसियों के 9अलग-अलग प्रपत्रों को हटा दिया गया है।

CBEC-GST आवेदन

- ➲ GST की व्यवसाय प्रक्रियाओं यथा, पैंजीकरण, रिटर्न, भुगतान

और वापसी GSTN द्वारा प्रबंधित समान www.gst.gov.in से प्रदान किया जाता है। अनुकूलन बैंक एंड प्रक्रियाएँ प्रदान करने हेतु चरणबद्ध रूप में सीबीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन का डिजाइन विकास कर उसे लगाया जा रहा है।

- इसके अतिरिक्त व्यापार और विभागीय उपयोकर्ताओं दोनों के लिए आवश्यकतानुसार CBEC-GST एप्लीकेशन पर यूजर इंटरफ़ेस के साथ पूरक व्यवसाय प्रक्रियाओं जैसे-आकलन, लेखा परीक्षा, न्यायिक निर्णय आदि को भी डाला जा रहा है।
- इसके लिए CBEC-GST सर्वर प्राप्ति, भंडारण, API डाटा की प्रोसेसिंग विभागीय उपयोगकर्ता के लिए डाटा का प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट निकालना, MIS और विश्लेषण यंत्रों जैसे उच्चस्तरीय गतिविधियों से लैस है।

उद्यम डाटा वेयरहाउस

- CBEC उद्यम डाटा वेयरहाउस को सर्वप्रथम क्रियान्वित करने वाले सरकारी विभागों में से एक है।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित वास्तविक समय के करीब एक साफ और अनुरूप केंद्रीय भंडार है।

प्रवर्तन निदेशालय

- प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में नई दिल्ली में की गई थी।
- फेरा, 1947 को बाद में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 से बदल दिया गया था।
- फेरा एक आपराधिक अधिनियम था जिसमें निर्णय देने वाले अधिकारियों द्वारा उल्लंघनों पर निर्णय देने के अलावा अदालत में अभियोजना पक्ष के दाखिल होने का प्रावधान था।
- फेरा को वर्ष 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) से बदल दिया गया। बाद में निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनीलार्म्डिंग एक्ट, 2002 (PMLA), जो 2005 में प्रभाव में आया, के उत्तरदायित्वों के कार्यान्वयन का काम भी सौंपा गया था।
- वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय दो कानूनों यथा-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और काले धन को वैध करने की रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) को लागू करने के अलावा फेरा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए बचे हुए कार्य भी देख रहा है।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत

- वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) संदिग्ध वित्तीय

लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विश्लेषण करने और प्रसार हेतु केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।

- (FIU-IND) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अवैध धन को वैध बनाने, संबंधित अपराधों और आंतकवादियों के वित्तपोषण का सामना करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय नेटवर्क हेतु की गई थी।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के नेतृत्व वाले आर्थिक आसूचना परिषद (IEC) को रिपोर्ट करती है।
- प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु FIU-IND वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है।
- एफआईयू-आईएनडी की स्थापना एक प्रशासनिक FIU के रूप में की गई है यानी-विश्लेषणों को पाने वाले और समुचित कानूनी प्रवर्तन या अन्वेषण एजेंसी को STR का प्रसार करने वाले एक स्वतंत्र सरकारी निकाय के रूप में (FIU-IND) मामलों का अन्वेषण नहीं करता है।
- FIU-IND के मुख्य कार्यों के घरेलू सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आउटटीच, अनुरोध करने एवं फीडबैक देने सहित फाइलिंग, विश्लेषण और सूचना के प्रसार हेतु पूरा समाधान देते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म (FIN NET) का अनुपालन और प्रशासन शामिल है।

नशीले पदार्थों का नियंत्रण

- नशीले पदार्थों का नियंत्रण डिवीजन नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अधिनियम 1985 को लागू करता है।
- यह अधिनियम चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, धारण, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, खपत, अंतर्राष्ट्रीय आयात, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात का निषेध करता है।

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील

- सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) की स्थापना क्रमशः सीमा शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त/आयुक्त (अपील) द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई हेतु अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी।
- प्रतिपालन मामलों में अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और ऐसे मामलों की सुनवाई अध्यक्ष, CESTET की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ द्वारा की जाती है।

- अधिकरण का मुख्यालय और प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय शाखाएँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में हैं, जिनके अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं।
- जहाँ दिल्ली और मुंबई दोनों की चार-चार पीठें हैं, चेन्नई, में 2 पीठ और अन्य स्थानों पर एक-एक पीठ है। इस न्याधिकरण की सभी पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं।

वित्तीय सेवा विभाग

- वित्तीय सेवा विभाग (DFS) मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और वित्तीय संस्थानों से संबंध नीतिगत मुद्दों हेतु उत्तरदायी है, जिसमें पीएसबी और वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (MD एवं CEO), कार्यकारी निदेशकों (ED), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (CMD) की नियुक्ति, विधायी मामले, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध शामिल हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), कृषि, वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) और ग्रामीण कृषि साख से जुड़े मामलों हेतु भी विभाग उत्तरदायी है।
- यह विभाग सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऋण के प्रवाह की सुविधा पर केंद्रित अन्य लक्षित योजनाएँ, बीमा क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों से जुड़े मामले, विभिन्न बीमा अधिनियमों के प्रशासन को भी प्रशासित करता है।
- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) से जुड़े मामले, नई पेंशन योजना (NPS) सहित पेंशन सुधारों से जुड़े मामले, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि से संबंधित विधायी एवं अन्य मुद्दे भी विभाग देखता है।
- इसमें पेंशन और औद्योगिक वित्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम भी शामिल है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण संविधिक मण्डल है जो इस विभाग के अंतर्गत भी काम करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक

- भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, जो भारतीय रूपये की मुद्रा संबंधी नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय अधिनियम, 1934 के अनुसार संचालन शुरू किया। 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, RBI को 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया।

- RBI के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 4 आंचलिक कार्यालय हैं। पूरे भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप-कार्यालय हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, देवास, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना देहरादून और तिरुवनंतपुरम में हैं और उप-कार्यालय अगरतला, आइजॉल, देहरादून, गंगटॉक, इंफाल, पणजी, रायपुर, रांची, शिलौना, शिमला और श्रीनगर में स्थित हैं।
- केंद्रीय बैंक के रूप में, RBI भारत का एक शीर्ष स्वतंत्र वित्तीय प्राधिकरण है जो बैंकों को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार संग्रहण जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।
- केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण वित्तीय शीर्ष संस्था है और सभी देशों में केंद्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं।
- फिर भी वे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्य के साथ गतिविधियों और कार्यों का निष्पादन करते हैं।
- RBI देश की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बैंक एशियाई समाशोधन संघ का सदस्य है।
- 21 सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल, राज्यपाल, चार उप-गवर्नर, वित्त मंत्रालय के दो प्रतिनिधि, महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिनिधि त्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित 10 सरकारी निदेशक और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली मुख्यालयों के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 निदेशक RBI का सामान्य अधीक्षण और नीतियों का संचालन करते हैं।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक नीति की देख-रेख, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सरकार के लिए एक बैंक के रूप में और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कई कार्यों को निष्पादित करता है।
- यह देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी काम करता है।
- RBI का प्राथमिक उद्देश्य, वित्तीय क्षेत्र का संगति पर्यवेक्षण करना है जिसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियाँ शामिल हैं।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, रिजर्व बैंक को देश की भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है।
- RBI की भूमिका, सकुशल, सुरक्षित और निपुण भुगतान और निपटान तंत्र के विकास और कार्यकलाप पर केंद्रित है।

- भुगतान की दो प्रणालियां, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) और तत्काल सकल निपटान (RTGS), व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों को एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है।
- इन सुविधाओं का उपयोग केवल देश के भीतर धन हस्तांतरण के लिए ही किया जा सकता है।
- अधिक विस्तृत अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण और इस सेगमेंट को विनियमित और प्रबंधित करने में RBI ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश के विदेशी मुद्रा और स्वर्ण प्रबंधित करता है।
- RBI भारत में मुद्रा जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है। मुद्रा जब परिसंचरण के लिए उपयुक्त नहीं होती तो बैंक उसे वहाँ नष्ट कर देता है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सभी पैसे इसकी मौद्रिक देयता है, यानी केंद्रीय बैंक कागज मुद्रा में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने के लिए, समान मूल्य की संपत्तियों के साथ मुद्रा को वापस करने के लिए बाध्य है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, सहकारी ऋण योजना के बैंकलिपक सूजन हेतु और ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त सांस्थानिक ऋण सुनिश्चित करने हेतु की गई थी।
- RRB भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में है, इसकी जारी पूँजी क्रमशः 50%, 15% और 35% के अनुपात में है।

किसान क्रेडिट कार्ड

- कच्चे माल की खरीद समेत कृषि संबंधी सभी आवश्यकताओं को लचीले, सुविधाजनक एवं किफायती तरीके से पूरा करने के लिए किसानों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण आपूर्ति की अनूठी प्रणाली किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना 1998-99 में आंशका की गई थी।
- योजना सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है।
- KCC कृषि ऋण प्रदान करने की सबसे प्रभावी योजना है। सहकारी बैंकों एवं आरआरबी के संबंध में योजना की निगरानी नावार्ड करता है और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में आरबीआई निगरानी करता है।

- इसका उद्देश्य बैंक नोट जारी करना है और मुद्रा को बनाए रखना और पर्याप्त सार्वजनिक आपूर्ति करना है तथा देश के क्रेडिट सिस्टम को इसका सबसे अच्छे लाभ का इस्तेमाल करने के लिए और भंडार बनाए रखना है।
- रूपयों की प्रिंटिंग के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (SPMCIL), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने नासिक, महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने भी कर्नाटक के मैसूर में प्रिंट प्रेस और पश्चिम बंगाल की सालबोनी में स्थापना की है।
- SPMCIL के पास मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में चार टकसाल हैं।
- RBI ने बाजार में नकली मुद्रा की समस्या को रोकने के लिए, लोगों के बीच नकली नोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वेबसाइट www.paisabolthai.rbi.org.in लॉन्च की है जो नकली मुद्रा की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष

- 1995-96 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने नावार्ड द्वारा संचालित होने वाला कोष ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) स्थापित किया, जिसे कृषि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/दुर्बल क्षेत्रों में ऋण में से देश के अंदर संचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास बची राशि जमा कराकर नावार्ड में ही स्थापित किया गया।
- उसके बाद से यह कोष काम कर रहा है और इसके लिए आवंटन प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट में कर दिया जाता है।

बीमा

- वित्त क्षेत्र के अनन्य अंग के तौर पर बीमा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मृत्यु, संपत्ति और दुर्घटना से जुड़े खतरों से बचाने के अलावा, यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और संस्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- साथ ही, बचत के अलावा देश के अवसंरचनात्मक विकास और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराता है।
- इस क्षेत्र में कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ हैं:
 - (1) जीवन बीमा निगम;
 - (2) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
 - (3) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;

- (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
- (5) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
- (6) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- (7) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

भारतीय जीवन बीमा निगम

- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना संसद के भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी। LIC बीमा अधिनियम, 1938, LIC अधिनियम, 1956, LIC नियमन, 1959 और बीमा नियामकीय एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अनुसार कार्य करता है।
- 31 मार्च, 2016 को देश में एलआईसी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय, 73 ग्राहक क्षेत्र, 1401 सुदूर कार्यालय तथा 1240 लघु कार्यालय हैं।

प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना

- सरकार ने 60 वर्ष और अधिक आयु के बुजुर्गों की व्याज आधारित आय को बाजार की अनिश्चितता से बचाने और बृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना (PMVY) का शुभारंभ किया है।
- यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए अमल में लाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 10 वर्षों तक प्रतिमाह की दर से देय सालाना 8% भुगतान सुनिश्चित किया है।
- 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के एक वर्ष की अवधि के दौरान यह योजना ग्राहकी शुल्क के लिए खुली रही थी।
- 2018-19 के आम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना को 31 मार्च, 2020 तक के लिए पारित किया और प्रति परिवार रूपये 7.5 लाख तथा प्रति वरिष्ठ नागरिक रूपये 15 लाख की अधिकतम क्रय सीमा बढ़ा कर निश्चित कर दी।

आम आदमी बीमा योजना

- समाज के दुर्बल वर्गों के लाभ हेतु भारत सरकार ने उच्च सब्सिडी वाली बीमा योजना 'आम आदमी बीमा योजना' (AABY) अंरंभ की है, जिसका संचालन LIC करती है।
- सामाजिक सुरक्षा की इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे एवं गरीबी की रेखा में आंशिक ऊपर के नागरिकों को 48 चिह्नित व्यवसायों के भीतर कवर किया जाता है।
- प्राकृतिक मृत्यु होने पर योजना 30,000 रूपये की बीमा राशि देती है।
- दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता (दो आंखें/दो पाँव या हाथ गंवाना) होने पर नामित व्यक्ति अथवा लाभार्थी

को 75,000 रूपये एवं आंशिक पूर्ण विकलांगता (1 आंख/1 हाथ या पाँव गंवाना) होने पर 37,500 रूपये दिए जाएंगे।

- ये सभी लाभ 200 रूपये प्रति सदस्य प्रतिवर्ष के मामूली प्रीमियम पर मिल रहे हैं, जिसमें से 100 रूपये केंद्र सरकार, LIC द्वारा संभाले जा रहे सामाजिक सुरक्षा कोष से वहन करेगी और 100 रूपये की शेष प्रीमियम राशि का सदस्य एवं/अथवा नोडल एजेंसी और/अथवा केंद्र/राज्य सरकार के उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे नोडल एजेंसी बनाया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

अटल पेंशन योजना

- अटल पेंशन योजना (APY) की शुरूआत मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, के जोखिम के निवारण हेतु की गई थी।
- APY असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल होते हैं, पर केंद्रित है।
- कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो अपने बचत बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से इससे जुड़ सकता है।
- 18 वर्ष की उम्र में जुड़ने वालों को न्यूनतम मासिक अंशदान 40 रूपये अथवा 84 रूपये अथवा 126 रूपये अथवा 168 रूपये अथवा 210 रूपये देने वाले भागीदारों को भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन क्रमशः 1,000 रूपये अथवा 2,000 रूपये अथवा 3,000 रूपये अथवा 4,000 रूपये अथवा 5,000 रूपये है।
- ग्राहक एवं उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति पेंशन कोष में ग्राहक की आयु 60 वर्ष होने तक जमाधन को पाने के लिए अधिकृत होगा।

APY में संशोधन

- अभिदाता यानी ग्राहक की असामिक मृत्यु के मामले में, सरकार ने उसके पति/पत्नी को ग्राहक के खाते में सहयोग राशि जमा कराते रहने की सुविधा दी है।
- वह यह राशि निश्चित अवधि तक जमा करा सकते हैं, यानी जब मूल अभिदाता की आयु 60 वर्ष की गई हो।
- इससे पहले 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर मूल अभिदाता के जीवनसाथी को एकमुश्त राशि देने का प्रावधान था।
- अब ग्राहक के जीवनसाथी को ग्राहक वाली पेंशन राशि जीवनपर्यन्त प्राप्त होंगी। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों

- की मृत्यु होने पर अभिदाता के नामित व्यक्ति को, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु के समय की पेंशन निधि प्राप्त होगी।
- अभिदाता को उनके एपीवाई खातों के संचालन में आसानी लाने के लिए, PFRDA ने APY के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है।
 - इसकी मदद से खाताधारक मोबाइल फोनों के जरिए अपने खातों का ब्योरा और अपने एपीवाई खातों से जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
 - अब सभी एपीवाई अभिदाता अपने एपीवाई खातों को वास्तविक समय में देखने के लिए गूगल स्टोर से एनपीएस लाइट मोबाइल एप्लिकेशन्स डाउनलोड कर उन्हें अपने मोबाइल फोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- सरकार ने गरीबों और वर्चितों को लक्षित कर एक सामाजिक सुरक्षा पद्धति विकसित करने हेतु तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की।
- ये हैं-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY)।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है।
- जिसका हर वर्ष नवीकरण किया जाएगा। इसमें किसी भी कारण हुई मौत के लिए दो लाख रूपये का जीवन बीमा कवर है और यह 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग (लाइफ कवर 55 वर्ष तक) के लोगों के लिए जिनका बैंक में बचत खाता है और जो उसमें शामिल होने और ऑटो-डेबिट हेतु सहमति देते हैं, उपलब्ध है।
- इसमें आईटी मोड में क्रियान्वयन के साथ बैंक खाता से जुड़ा नामांकन और उपभोक्ता के बैंक खाता से ऑटो-डेबिट के जरिए प्रीमियम भुगतान शामिल है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMJJBY) एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीकरण साल-दर-साल किया जाता है।
- दुर्घटना होने पर मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए है और इसका फायदा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी बैंक में खाता है और वे इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो डेबिट यानी खाते से स्वतः प्रीमियन काटने के विकल्प को अपनाते हैं।

- इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपये दिए जाएंगे। इस योजना में सूचना टेक्नोलॉजी से समन्वित बैंक खाते के आधार पर आसानी से शामिल हुआ जा सकता है और खातेदार के बैंक खाते से स्वतः से ही बीमा प्रीमियम काटने की सुविधा है।
- गरीबों के लिए इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है।
- क्योंकि यह उपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे देश में दुर्घटना बीमा सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

- प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJJBY) बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए बैंकिंग सेवाओं का बढ़ा हुआ उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो।
- PMJJBY के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - संपूर्ण देश में एक बैंक की शाखा अथवा नियत स्थल पर बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट (BC) जो कम दूरी पर हो के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच,
 - प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो जो रूपये डेबिट कार्ड के साथ हो तथा जिसमें एक लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर हो,
 - 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद रूपये 5,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के बीच पहली बार खाता खोलने वालों के लिए 30,000 रूपये का जीवन बीमा कवर।

स्वावलंबन योजना

- असंगठित क्षेत्र में कामगारों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2010 में स्वावलंबन योजना नाम का कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- यह सह-योगदान वाली पेंशन योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 1,000 रूपये से 12,000 रूपये की वार्षिक बचत वाले प्रत्येक NPS खाते में प्रतिवर्ष 1,000 रूपये का योगदान करेगी।
- सरकार का वार्षिक योगदान पात्रता वाले लाभार्थियों के लिए 2016-17 तक बढ़ा दिया गया है। योजना 76 समूहों के सहयोग से काम करती है।

- जिनमें कुछ राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, MFI, NBFC एवं निजी क्षेत्र के निकाय शामिल हैं।

ग्रामीण आवासीय कोष

- 2008-09 में ग्रामीण आवासीय कोष का गठन किया गया जिससे प्राथमिक ऋण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों के बीच प्रतिस्पर्धी दरों में आवास ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु धन प्राप्त हो सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- लघु इकाई विकास और पुनर्वित एजेंसी (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा गठित पुनर्वित संस्था है जिसका उद्देश्य लघु इकाइयों के विकास हेतु भारत के उद्यमशीलता, खासकर गैर-कॉरपोरेट जो छोटे व्यवसाय क्षेत्र से आते हैं, को प्रोत्साहित करने हेतु वित्त प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दिशानिर्देशों के तहत मुद्रा ने अपने 3 उत्पाद शुरू किए हैं जिनके नाम हैं, शिशु, किशोर और तरुण।
- ये तीनों लघु उत्पाद, लघु इकाइयों या उद्यमियों के विकास के चरणों और वित्त पोषण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं।
- मुद्रा बैंक NBFC, MFI, ग्रामीण बैंकों, जिला बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, प्राथमिक ऋण संस्थानों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से ऋण वितरित करता है।
- उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र जैसी आय अंजित करने वाली गतिविधियों में संलग्न कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी ऋण जरूरत 10 लाख रूपये से भी कम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ऋण का लाभ उठाने के लिए बैंकों, MFI वित्तीय संस्थानों या NBFC से संपर्क कर सकता है।
- PMMY के तहत कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 5.77 करोड़ रूपये अनुमानित लघु व्यवसाय-इकाइयां हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार या सेवा व्यवसाय चला रही है, जिन्हें क्रेडिट की औपचारिक प्रणाली तक पहुँचना मुश्किल लगता है, इन इकाइयों में ऋण की आवश्यकता, आमतौर पर 10 लाख रूपये से कम होती है।
- ऐसी इकाइयों के लिए एक योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 2015 में शुरू की गई थी। जिससे आय उत्पन्न करने वाले लघु व्यवसाय उद्यम ऋण तक पहुँचने में सक्षम हो सके।

जिसके परिणामस्वरूप, प्रमुख संस्थानों के सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रूपये तक की पूँजी दी जाएगी।

- पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु उद्योगों की उद्यमशीलता सक्रियता में वृद्धि करना और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी कोष

- कौशल ऋण योजना के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम करने वाले पात्र ऋण लेने वालों को रु. 1.5 लाख (टर्म लोन) या अवस्थापक द्वारा निर्धारित कोई अन्य रकम तक बिना सहवर्ती प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा स्वीकृति और भुगतान की गारंटी है।
- कोई भी भारतीय नागरिक जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के अनुसार न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो कौशल ऋण प्राप्त कर सकता है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

- विनिवेश विभाग 1999 में एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2001 में इसे विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था।
- वर्ष 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में से एक है। वर्ष 2016 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है।
- इस विभाग के कार्यों में शामिल है: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर विनिवेश सहित शेयर में केंद्रीय सरकार के निवेश प्रबंधन से जुड़े सभी मामले।
- योजनाबद्ध विनिवेश समेत विनिवेश हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की अनुशंसाओं पर निर्णय।
- विनिवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन हेतु स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर से संबंधित सभी मामले। राष्ट्रीय निवेश कोष में डाले गए विनिवेश के लाभों के उपयोग के संबंध में वित्तीय नीति।
- विनिवेश के जरिए जनता की समृद्धि में भागीदारी द्वारा जनता में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के प्रति स्वामित्व का विकास, आर्थिक विकास को गति देने और उच्चतर व्यय हेतु सरकार के संसाधनों में विस्तार के लिए CPSE में सार्वजनिक निवेश के कुशल प्रबंधन में सक्षमता, CPSE को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया से संस्कृति के विस्तार में सहयोग प्राप्त होता है और सरकार के लिए बजटीय संसाधनों में वृद्धि होती है।

वर्तमान विनिवेश नीति की मुख्य विशेषताएँ

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति जनता के हाथों में है CPSE में जनता के स्वामित्व का विकास।
- CPSE की कम संख्या में शेयर ब्रिकी द्वारा विनिवेश करते समय सरकार अपने पास शेयर का अधिक हिस्सा रखेगी यानी-शेयरहोल्डिंग का कम से कम 51% और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधकीय नियंत्रण भी रखेगी।
- चिह्नित CPSE में प्रबंधकीय नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ सरकार की शेयरधारिता का 50% या अधिक हिस्से की बिक्री द्वारा युक्तिपूर्ण विनिवेश।

राष्ट्रीय निवेश कोष

- सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF) का गठन 2005 में किया।
- जिसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को दिशा देना था।
- NIF का कोष स्थायी था और सरकार को सतत लाभ प्रदान करने के लिए कोष में कमी किए बिना NIF को व्यावसायिक प्रबंध करना था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए म्युचुअल फंडों यथा-UTI ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एसबीआई कोष प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड) और LIC म्युचुअल फंड ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को NIF कोष के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया।
- इस योजना के अनुसार NIF की वार्षिक आय का 75 प्रतिशत का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ाने वाले चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाना था।
- NIF के बचे हुए 25% आय का उपयोग पुनर्निवेश करने वाले और लाभदायक PAU की पूँजी निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना था।

● वर्ष 2008-09 के भूमंडलीय मंदी और 2009-10 के भीषण सूखे के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग हेतु नीति में परिवर्तन किया।

● इसमें विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग व्यय विभाग/योजना आयोग द्वारा नियत चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं हेतु सीधे करने हेतु एक बार के लिए छूट दी गई।

● यह सुनिश्चित करने के लिए कि CPSE में 51% की हिस्सेदारी कम नहीं हो CPSE द्वारा अधिकार आधार पर जारी किए जा रहे शेयरों को खरीदना। सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकता का मुद्दा) विनियम, 2009 के अनुसार प्रोमोटरों को CPSE के शेयरों का प्राथमिकता आवंटन ताकि CPSE द्वारा अपने पूँजी व्यय कार्यक्रम को पूरा करने हेतु नए शेयर जारी करने संबंधी सभी मामलों में सरकार की शेयरधारिता 51% से नीचे ना हो।

● सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु NIF द्वारा वित्तपोषण को भी अनुमोदित किया RRBS/IIFCL/नावार्ड/एकिजम बैंक में सरकार द्वारा निवेश, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इकिवटी निवेश, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश, भारतीय रेल में पूँजी व्यय के लिए निवेश का प्रावधान रखा है।

नोटों का विमुद्रीकरण

- 8 नवंबर, 2016 को सरकार ने 500 और, 1,000 रुपये के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और महात्मा गांधी शृंखला के 5,10,20,50 और 100 रुपये के नोट की वैधता अप्रभावित रही और इनकी कानूनी वैधता बरकरार रही।
- सरकार ने कहा कि विमुद्रीकरण का कदम वर्तमान नोटों की नकल रोकने का प्रयास तो है ही, जिनका प्रयोग कथित रूप से आंतकवाद की आर्थिक मदद में हो रहा है, साथ ही यह देश में काले धन पर भी प्रहार है।



परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. भारत के आंतरिक ऋण में सबसे अधिक अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों का होता है।
2. केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से सीधे ऋण लेती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं-

1. लेखानुदान का उद्देश्य वित्तीय आपूर्ति पर मतदान लंबित रहने तक सरकार के क्रियाकलापों को जारी रखना है।
2. समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान माँगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
3. वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 111 में विहित है।

कूट-

- (a) केवल 1
- (b) 1 व 2
- (c) 2 व 3
- (d) 1, 2 व 3

3. कथन (A) भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018-19 में 7.3% की वृद्धि हुई।

कारण (R) केंद्र द्वारा राज्यों को अंतरित अनुदान उत्तरोत्तर बढ़ाता रहा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
- (b) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A सही है परंतु R गलत है।
- (d) A गलत है परंतु R सही है।

4. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. बाजार ऋण
2. क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण पत्र

3. गैर ब्याज वाली रूपये की प्रतिभूतियाँ

इनमें से कौन सा/से सार्वजनिक ऋण में शामिल है/हैं-

- (a) 1 व 2
- (b) 2 व 3
- (c) 1 व 3
- (d) 1, 2 व 3

5. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा संपत्तियों, स्वर्ण, SDR और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित अंश से मिलकर बना है।
2. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि पूँजी खाते की वित्तीय आवश्यकताओं एवं लाभ/हानि के मूल्यांकन की तुलना में अधिक पूँजी प्रवाह आ जाने के कारण होती है।

कूट-

- (a) केवल 1
- (b) केवल
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. आर्थिक मामलों का विभाग मुद्रा नोटों व सिक्कों के संदर्भ में नीति निर्माण, उत्पादन नियोजन पर नजर रखता है।
2. स्मारक सिक्के जारी करने का कार्य मुद्रा एवं सिक्के प्रभाग का होता है। ,

कूट-

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

7. एम. एस. साहू समिति का संबंध किससे है-

- (a) डिपार्टमेंट रसीद योजना
- (b) सार्वजनिक - सार्वजनिक भागीदारी
- (c) दिवालियापन संशोधन विधेयक
- (d) म्युचुअल फंड

8. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं-

1. इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड

- अधिनियम 1992 के तहत की गई है।
2. इसका पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायधीश ही हो सकता है।
 3. पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
 4. न्यायाधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता के नियमों से बंधा होता है।
- कूट-**
- (a) केवल 1
 - (b) 2, 3 व 4
 - (c) 1, 2 व 4
 - (d) 1, 2 3 व 4
- 9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
1. मौद्रिक नीति समिति का मुख्य कार्य मौद्रिक नीतियों का निर्वाण करना है।
 2. मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति है जिसके सभी सदस्य रिजर्व बैंक से होते हैं।
 3. इस समिति के गठन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
 - (b) 1 व 3
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3
- 10. शेरपा ट्रैक निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है-**
- (a) जी-20
 - (b) सार्क
- (c) बिम्सटेक
- (d) जी-7
- 11. निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है-**
1. खनन
 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
 3. प्रिंट मीडिया
 4. सिविल एविएशन
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
 - (b) 2 व 3
 - (c) 1, 2 व 4
 - (d) 2, 3 व 4
- 12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
1. भारत IMF का संस्थापक सदस्य देश है।
 2. IMF में अंशधारिता के अनुसार भारत का 8वाँ स्थान है।
 3. IMF में भारत की अंशधारित 2.76% है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) 1 व 2
 - (c) 2 व 3
 - (d) 1, 2 व 3

Answer Key:-

- | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--------|
| 1. (a) | 2. (b) | 3.(c) | 4.(d) | 5.(a) |
| 6. (c) | 7. (a) | 8.(a) | 9.(b) | 10.(a) |
| 11. (c) | 12. (d) | | | |

अध्याय 14.

कॉरपोरेट मामले

- कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- ये अधिनियम हैं:
 1. कंपनी अधिनियम, 2013,
 2. कंपनी अधिनियम, 1956,
 3. सीमित देयता साझेदारी फर्म अधिनियम, 2008,
 4. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,
 5. दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016,
 6. चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949,
 7. लागत और कार्य लेखा अधिनियम, 1959,
 8. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,
 9. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
 10. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (केंद्रशासित क्षेत्रों में) और
 11. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951।
- मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा तीन-स्तरीय है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और 7 क्षेत्रीय महानिदेशक कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा शिलांग में हैं।
- इसके अतिरिक्त 15 कंपनी पंजीयक कार्यालय और 14 आधिकारिक परिसमाप्त हैं।

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र

- कंपनी निगमीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए ई-प्रपत्र परियोजना लागू की गई जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि नाम आरक्षण तथा कंपनी के निगमीकरण की प्रोसेसिंग भुगतान पुष्टि की तिथि 1 दिन में श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप की जा सकती है।
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आवेदकों के नाम आरक्षण प्रोसेस करने के लिए 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का पहला चरण शुरू किया और 2016 में ही कंपनी आवेदकों के निगमीकरण पर अमल करने का दूसरा चरण आरंभ किया।

व्यवसाय करने की सुगमता

- मंत्रालय ने E-MO (इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन)

तथा E-AA (इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के साथ कंपनियों के निगमीकरण के लिए सरल निर्देशन-पत्र (SPICE) तय किया है। जिससे आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उद्यमियों को बिना किसी बाधा के भारत में कारोबार शुरू करने में सहायता मिलती है।

- निगमीकरण के लिए फीस 2,000 रूपये से घटाकर 500 रूपये कर दी गई हैं।
- कंपनी निगमीकरण फार्म के स्थान पर एकीकृत INC-29 फॉर्म लाया गया है। इस फॉर्म की प्रोसेसिंग 1-2 कार्यदिवसों में की जा रही है।
- पैन जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंपनियों के निगमीकरण

के लिए SPICE का उपयोग करते हुए निगमित कंपनी को पहला टैन जारी करने के लिए MCA 21 प्रणाली का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया गया है।

- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों के न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार का अधिकार CRC रजिस्ट्रार द्वारा निगमित कंपनियों पर बना हुआ है।
- ⦿ अधिकारिक परिसमापक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं और संबंधित उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं।
- ⦿ वे मुख्य रूप से कंपनियों के परिसमापन और विघटन से संबंधित न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013

- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 कॉरपोरेट क्षेत्र को और अधिक अवसर प्रदान करता है और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रकटीकरण के लिए स्व-नियमन का अवसर प्रदान करता है।
- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 में 407 अनुच्छेद हैं। इनमें से बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान और पुनर्वास से संबंधित 39 अनुच्छेद (अनुच्छेद 253 से 269) अध्याय 19 में हैं।
- ⦿ कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्देश्य भारत की कंपनियों को विश्व में प्रचलित श्रेष्ठ व्यवहारों के अनुरूप चलाना है।
- ⦿ कॉरपोरेट क्षेत्र को अपने मामले नियम के अनुरूप निपटाने की छूट दी गई हैं वशर्ते उनके क्रियाकलापों का पहले से प्रकटीकरण किया जाए और दायित्व निर्धारण किया जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएँ

- ◻ सरकारी स्वीकृति आधारित व्यवस्था के स्थान पर प्रकटीकरण/पारदर्शिता सहित स्व-नियमन का प्रावधान।
- ◻ कंपनियों के रिकॉर्ड/बैठकों का ऑडीमेशन-
 - कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को रखने,
 - बोर्ड बैठक आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की वैधानिक मान्यता।
- ◻ संक्षिप्त विलय और सीमापार विलय सहित त्वरित विलय और अधिग्रहण।
- ◻ फौरी परिसमान: 1 करोड़ और उससे कम की परिसंपत्तियों वाली कंपनियों के लिए आधिकारिक परिसमापकों को निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- ◻ 1 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या E 1932 (e) के माध्यम से अनुच्छेद 408 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का गठन।

- ◻ निष्क्रिय कंपनियों की अवधारणा प्रारंभ (लगातार दो वर्षों तक व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनियों को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है।)
- ◻ एक व्यक्ति कंपनी (OPC) की शुरूआत।
- ◻ अनुच्छेद 149 (4) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकता के रूप में स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा की शुरूआत।
- ◻ बोर्ड की अनेक समितियों (लेखा परीक्षण समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अंशधारी संबंध समिति तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति) के गठन का प्रावधान।
- ◻ कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए महिला निदेशक।
- ◻ कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित कॉरपोरेट दायित्व समिति के गठन और CSR नीति बनाने के लिए अनिवार्य प्रावधान।
- ◻ दोषी अधिकारी 'शब्दावली' को और प्रारंभिक बनाने के लिए समीक्षा।
- ◻ कंपनी के प्रमुख कार्यों का दायित्व तय करने के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और प्रवर्तक शब्दावली को परिभाषित किया गया है।
- ◻ अंशधारियों, कर्मचारियों, समुदाय और पर्यावरण के प्रति निदेशकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया।
- ◻ निदेशकों की संख्या सीमा निर्धारित: 20 कंपनियों में 10 सार्वजनिक कंपनियाँ हो सकती हैं।
- ◻ केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में स्वतः जाँच की शक्ति होगी।
- ◻ गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण (SFIO) कार्यालय को वैधानिक मान्यता।
- ◻ 18 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या SO 1976 (e) के माध्यम से अनुच्छेद 435 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन किया गया है।
- ◻ जाँच के दौरान मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती।
- ◻ जाँच के दौरान कंपनी के अवैध लाभों या परिसंपत्तियों के उपयोग से वर्चित करना।
- ◻ लेख और लेखा परीक्षण मानकों की मान्यता।
- ◻ लेखा परीक्षकों के लिए अयोग्यता के कठोर मानक।
- ◻ लेखा परीक्षक विनिर्दिष्ट गैर-लेखा परीक्षण सेवाएँ नहीं देगा।
- ◻ लेखा परीक्षकों की कार्यविधि तथा क्रमावर्तन निर्धारित।
- ◻ बड़ी कंपनियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण।

- ❑ अनुपालन नहीं करने पर लेखा परीक्षक के लिए पर्याप्त दीवानी और आपाधिक दायित्व।
- ❑ धोखाधड़ी का पता लगने पर न्यायाधिकरण को लेखा परीक्षण बदलने संबंधी निर्देश देने का अधिकार।
- ❑ कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण।
- ❑ कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षण।
- ❑ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का गठन किया जाएगा।
- ❑ छोटे अंशधारकों का संरक्षण।
- ❑ यदि उद्देश्य अथवा सुलह के दौरान किसी तरह की असहमति हो तो अलग होने या बाहर निकलने का अधिकार।
- ❑ सुलह व्यवस्थाओं के दौरान मूल्यांकन अनिवार्य।
- ❑ छोटे अंशधारकों पर विलय के प्रभाव का खुलासा अनिवार्य।
- ❑ सूचीबद्ध कंपनियों में छोटे अंशधारियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक निदेशक।
- ❑ जनता से जमा राशि स्वीकार करने के कठोर नियम।
- ❑ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) की भूमिका को मजबूत बनाना।
- ❑ IEPF से लाभांश दावों पर कोई समय सीमा नहीं।
- ❑ क्लास एक्शन सूट्स को मान्यता।
- ❑ छोटे अंशधारियों की सुरक्षा के लिए न्यायाधिकरण को अधिक शक्तियां।

कंपनी संशोधन अधिनियम

- ❑ कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से संशोधन किया गया ताकि व्यवसाय में सहायता प्रदान की जा सके और हितधारकों की कुछ तात्कालिक चिंताओं को दूर किया जा सके।
- ❑ प्रासंगिक नियमों के साथ ये संशोधन अधिसूचित कर दिए गए हैं और संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत
 1. निजी कंपनियों,
 2. सरकारी कंपनियों,
 3. अनुच्छेद 8 की कंपनियों और
 4. निधियों को छूट प्रदान की गई हैं।

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016

- ❑ दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 मई 2016 से काम करने लगी है।
- ❑ भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियम, 1961 में संशोधक

करके संहिता लागू करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को दी गई है।

- ❑ यह सहिता पुनर्गठन तथा कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी में चलने वाली कंपनियों तथा व्यक्तियों का दिवाला समाधान समयबद्ध रूप में करने संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाने और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड

- ❑ भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड की स्थापना IBC 2016 के अंतर्गत 2016 में की गई।
- ❑ बोर्ड को संहिता के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और कार्यों के पालन के अतिरिक्त दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों तथा सूचना उपयोगिताओं के नियमन का अधिकार प्राप्त है।

विशेष न्यायालय

- ❑ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 435 के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 20 वर्तमान सत्र न्यायालयों/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय घोषित करके विशेष अदालतों को गठन किया है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून एवं अपीली न्यायाधिकरण

- ❑ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLAT) तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण (NCLAT) का गठन 2016 में किया गया।
- ❑ इस संस्थानों का गठन कॉरपोरेट विवादों के तेज समाधान तथा अनेक एजेंसियों की संख्या में कमी लाने के लिए किया गया है ताकि देश में व्यवसाय करने की सुगमता हो।
- ❑ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLAT) के गठन के साथ कंपनी कानून बोर्ड को भंग कर दिया गया और बोर्ड में लंबित मामलों को NCLAT में हस्तांतरित कर दिया गया।
- ❑ दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 तथा SICA निरस्तीकरण अधिनियम, 2003 को 2016 में लागू किया गया।
- ❑ इसके साथ ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (BIFR) तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीली प्राधिकरण भंग हो गया है।
- ❑ NCLAT की पीठों को दिवाला और नष्टनिधि संहिता के भाग दो के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, शक्तियां और न्यायक्षेत्र प्राधिकार प्रदान किया गया है।
- ❑ केंद्र सरकार ने पैचाट, समझौता, प्रबंधन तथा NCLAT की पीठों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाहियों के हस्तांतरण के प्रावधान को अधिसूचित किया है।

- कंपनी समेटने के बारे में उच्च न्यायालयों के समक्ष लिखित आवेदनों पर उच्च न्यायालय सुनवाई करते रहेंगे और नए आवेदन NCLAT के समक्ष दायर करने होंगे।
- NCLAT की पीठों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
- इसमें भौतिक अवसरंचना, सदस्यों तथा अन्य समर्थनकारी स्टाफ की उपलब्धता को ध्यान में रखा जा रहा है।
- NCLAT का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी पीठें नई दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- भारत में कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निभाना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की 7 वीं अनुसूची के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया और कंपनियों के लिए (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम अप्रैल 2014 में लागू हुए।
- मंत्रालय ने समय-समय पर कंपनियों के लिए (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम अप्रैल 2014 में संशोधन किया है और सर्कुलर के रूप में स्पष्टीकरण और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जारी किए हैं ताकि CSR को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और इसका परिपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सीमित दायित्व साझेदारियाँ

- भारत में 95% सूक्ष्म, लघु और मझोली (MSME) औद्योगिक इकाइयाँ हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 90% से अधिक इकाइयाँ स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में पैंजीकृत हैं, 2 से 3% साझेदारी वाली कंपनियाँ हैं, तथा 2% से कम कंपनियों के रूप में पैंजीकृत हैं।
- MSME कंपनियों में व्यापक रूप से कॉर्पोरेट स्वरूप दिखाई नहीं देता।
- MSME मंत्रालय द्वारा संकलित डाटा से पता लगता है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उच्च परिपालन लागत के कारण MSME कॉर्पोरेट स्वरूप नहीं ले सकती।
- स्वामित्व और साझेदारी वाली कंपनियों का कामकाज अपारदर्शी होने के कारण बैंकों द्वारा ऋण प्राप्ति का मूल्यांकन कठिन होता है।
- इसलिए SME कंपनियाँ बैंकों से ऋण प्राप्त करने के मामले में कॉर्पोरेट की तुलना में अलाभकारी स्थिति में हैं।

SME 21 ई-गवर्नेंस परियोजना

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी तथा सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) पैंजीकरण, निगमीकरण, पैंजीकरण तथा परिपालन संबंधी सेवाओं को शामिल करते हुए प्रारंभ से अंत तक 'MCA 21' नामक ई-गवर्नेंस परियोजना का संचालन किया।
- वर्ष 2006 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत BOOT (बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर) के मॉडल के आधार पर यह परियोजना प्रारंभ की गई ताकि सरकारी सेवाओं की डिजाइन और डिलिवरी में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- यह परियोजना मिशन मोड में चलाई गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा LLP अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसमें
 - तेजी से कंपनियों और LLP के निगमीकरण और
 - कारोबारी सुगमता प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया।
- यह परियोजना मंत्रालय के मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू की गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा LLP अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
- सभी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं और दाखिल किए गए सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं।

लागत लेखा

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत वस्तुओं के उत्पादन और सेवा देने के काम में लगी कंपनियों के लिए सामग्रियों, श्रम तथा लागत वाली अन्य सामग्रियों के उपयोग को लेखा बही में शामिल करना अनिवार्य है।
- इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि इस वर्ग की कंपनियों को उपर्युक्त लागत रिकॉर्ड का अंकेक्षण करना होगा। वे अपने कुल व्यवसाय की न्यूनतम सीमा से परे ना हो।
- केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 को अधिसूचित किया है और उन कंपनियों के वर्ग, न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया है जिनके लिए लागत लेखाजोखा रखना और लेखा परीक्षण करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त नियमों में से 6 नियमित क्षेत्र 33 गैर-नियमित क्षेत्र में शामिल हैं, जो लागत रिकॉर्ड रखने तथा उनका लेखा परीक्षण करने के मामले में कंपनी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं बशर्ते वे निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा में हों।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

- कंपनी अधिनियम में निवेशक जागरूकता को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) की स्थापना का प्रावधान है।
- लाभांश राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिवेंचरों तथा आवेदन राशि जिनका भुगतान नहीं हुआ है। जिनके बारे में देय तिथि से 7 वर्षों तक कोई दावा नहीं किया गया है, उन्हें IEPF में अंतरित कर दिया जाता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 125 IEPF में अंतरित भुगतान नहीं की गई राशि की वापसी की अनुमति देता है।
- ऐसी राशि की वापसी अधिनियम के अनुच्छेद 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकार द्वारा की जाती है।
- IEPF सितंबर 2016 से काम कर रहा है और IEPF को IEPF में अंतरित राशि का उपयोग करते हुए निवेशक जागरूकता गतिविधियां चलाने की जिम्मेदारी दी गई हैं।
- निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (IAP) तीन पेशेवर संस्थानों-
 1. भारती चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान,
 2. भारती कंपनी सचिव संस्थान तथा
 3. भारतीय लागत लेखा संस्थान- के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के माध्यम से निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए 90 दिनों के लिए दूरदर्शन पर कॉल संदेश और आकाशवाणी पर जिंगल्स प्रसारित किए जाते हैं।

भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा

- कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा (ICLS) का केंद्र नियंत्रण प्राधिकार है। पूर्ववर्ती कंपनी विधि सेवा का नामकरण 2008 में भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा किया गया।

गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय

- गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (SFIO) की स्थापना जुलाई 2003 में की गई।
- कंपनी अधिनियम 2013 में SFIO को वैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके कार्य और शक्तियों का विस्तार किया गया है।
- इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत किया गया है।
- SFIO का मुख्य कार्य गंभीर और जटिल स्वरूप की कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जाँच करना है। SFIO ऐसे जटिल मामलों की जाँच का कार्य अपने हाथ में लेता है।

- जिनका प्रभाव अन्य विभागों और शाखाओं पर पड़ सकता है।
- SFIO धन के विनियोग के आकार अथवा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ कानून, प्रक्रिया तथा व्यवस्था में सुधार और अन्वेषणों की आवश्यकता का संकेत देने वाले मामलों की जाँच करता है।
- जाँच का काम बहु-विभागीय दल द्वारा किया जाता है जिसमें लेखा क्षेत्र, फॉरेंसिक लेखा परीक्षण, कराधान, सीमा शुल्क, सूचना प्रौद्योगिकी, पूँजी बाजार, वित्तीय लेनदेन (बैंकिंग सहित) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), गुप्तचर ब्यूरो (IB) और प्रवर्तन दिशालय जैसी एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान

- मंत्रालय ने भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (IICA) का गठन सोसायटी पैंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पैंजीकृत सोसायटी के रूप में किया।
- इसका उद्देश्य ऐसे संस्थान के रूप में काम करना है जो एक ही जगह समन्वित, साझेदारियों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से कॉरपोरेट विकास और सुधारों के लिए नीति निर्धारण और क्षमता सृजन की सेवा प्रदान कर सके।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्पर्धा, संवर्धन तथा सतत स्पर्धा की-निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में कारोबार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 तथा सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधन किया गया।
- स्पर्धा विरोधी समझौतों तथा प्रभावकारी स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधान मई 2009 से लागू किए गए और संयोजन से संबंधित प्रावधानों को 2011 में लागू किया गया।
- CCI ने मार्च 2017 तक प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और बीमा, यात्रा, परिवहन, सीमेंट, ऑटोमोबिल विनिर्माण, रियल एस्टेट, फार्मास्युटिकल्स, वित्त, सार्वजनिक खरीद और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में प्रभाव के दुरुपयोग से संबंधित 868 मामले प्राप्त किए।



अध्याय

15.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय में दो विभाग हैं- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग (DCA)।
- देश में उभरते उपभोक्ता आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक विभाग बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होने के कारण मंत्रालय के दो विभागों में से एक- उपभोक्ता मामले विभाग को जून 1997 में पृथक विभाग बनाया गया।
- विभाग को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं- आंतरिक व्यापार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि, काला बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, डिब्बाबंद वस्तुओं का नियंत्रण, विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण, उपभोक्ता सहकारिताएं आदि।
- मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- यह खाद्यान्नों की खरीद, उनके भंडारण, ढुलाई तथा उन्हें वितरण एजेंसियों तक पहुंचाने जैसे विविध कार्यकलाप करता है।
- इस विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और उपयोगी खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं भुखमरी की कगार पर पहुंचे परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (AYY) के अंतर्गत कवर करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (POsQ) में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उपभोक्ता मामले

- उपभोक्ता मामले विभाग (CPA) का अधिदेश उपभोक्ताओं की हिमायत करना है। भारत ने उपभोक्ताओं की हिमायत में अग्रणी भूमिका निभाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम(सीपीए) को 1986 में अधिनियमित किया, जो उस समय का सबसे प्रगतिशील कानून था और वर्ष 1997 में उपभोक्ता मामलों को समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की।
- इस अधिदेश कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं-
- उपभोक्ताओं को कुशल विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाना; उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के विवादों का समयोचित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना।

उपभोक्ता जागरूकता

- उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित विविध मुद्दों पर देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है। 'जागो ग्राहक जागो' घर-घर प्रचलित हो चुका है।
- जनसाधारण तक व्यापक पहुंच रखने वाले सभी सरकारी विभागों/ संगठनों की भागीदारी से संयुक्त अभियान चलाए गए हैं।
- उदाहरण के लिए खाद्य के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक संगठन (FSSAI) के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ, और औषधियों के संबंध में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPA) के साथ टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्र, और आउटडोर विज्ञापनों जैसे

- विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए हैं।
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP), दूरदर्शन नेटवर्क (DD) और ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के माध्यम से किया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

- केंद्र सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष का सूजन करने में समर्थ बनाने के लिए वर्ष 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन किया गया।
- इस कोष में प्रतिवर्ष वह राशि जमा की जाती है, जिसमें दावा ना किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व शामिल हैं और जो राशि विनिर्माताओं को नहीं लौटाई जाती है।
- उपभोक्ता कल्याण कोष का सूजन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण, संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने और देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- वर्ष 2014 में इसके नियम संशोधित किए जाने के बाद से उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत ऐसी कोई एंजेसी/संगठन जो कम से कम पांच साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो और कंपनी अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है।
- मार्च 2017 को कोष में 26.23 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध थी। दिसंबर 2017 तक कोष में से 11.65 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया है।

उपभोक्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता

- उपभोक्ता मामले विभाग, जागरूकता और शिक्षा, अनुचित व्यापार पद्धतियों के निवारण के जरिए उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देकर, मानकों और उनकी अनुरूपता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और संरक्षा बढ़ाकर तथा वहनीय एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना चाहता है। वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता बाजारों में काफी बदलाव आया है।

- सामानांतर रूप से इसने उपभोक्ताओं को नए किस्म के अनुचित व्यापार और कारोबार की अनैतिक पद्धतियों के प्रति असहाय भी बनाया है।
- इन चुनौतियों का हल करने के लिए नीतिगत अनुकूलता, समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वयन, नियामक कार्रवाई के सामंजस्य और ऐसे संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। जिसके द्वारा सरकार के हस्तक्षेप के सर्वोत्कृष्ट नतीजे निकल सकें।
- यह विभाग सुशासन के लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता आया है। यह कार्य विविध हितधारकों- भारत सरकार के संबद्ध विभागों, राज्य सरकारों, विनियामक एंजेसीयों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी से किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का अधिनियमन देश में उपभोक्ताओं के समर्थन की दिशा में प्रमुख मील का पत्थर है। □ यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक औपचारिक किंतु अर्द्ध न्यायिक विवाद निवारण तंत्र का सूजन करके विधिक अवसरंचना उपलब्ध कराता है। □ इस प्रगतिशील कानून ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रि-स्तरीय अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सरल, त्वरित और उचित निवारण उपलब्ध कराना है। |
|--|

भारतीय मानक ब्यूरो

- नया भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम 2016, वर्ष 2017 से लागू हुआ।
- इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसमें ऐसे प्रावधान हैं, जो सरकार को किसी भी अनुसूचित उद्योग, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा को, जिसे वह सार्वजनिक हित में या मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझती हो, उसे अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने में समर्थ बनाते हैं।
- बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
- नया कानून मानक के अनुपालन की स्व-घोषणा सहित विविध प्रकार की सरलीकृत अनुपालन योजनाओं की भी अनुमति प्रदान

करता है, जो विनिर्माताओं को मानकों का पालन करने और अनुपालन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने को सरलीकृत विकल्प प्रदान करेगी।

- यह कानून केंद्र सरकार को उत्पादों और सेवाओं के अनुपालन को मानक के अनुकूल सत्यापित करने तथा अनुपालन का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए (BIS) के अलावा, अन्य किसी भी प्राधिकरण/एजेंसी को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है।
- इतना ही नहीं, उत्पाद के उत्तरदायित्व सहित ऐसे उत्पादों में सुधार करने या वापस लेने के प्रावधान भी मौजूद हैं, जिन पर मानक चिह्न मौजूद हो, लेकिन वे उपयुक्त भारतीय मानक का अनुपालन ना करते ही नवा का अनुपालन ना करते हों।
- नवा कानून देश में कारोबार करने में सुगमता प्रदान करने में भी सहायता करके 'मेक इन इंडिया' अभियान को प्रोत्साहन देगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 भी वर्ष 2017 में अधिसूचित किए गए।
- 1947 में अस्तित्व में आई भारतीय मानक संस्था (ISI) की परिसंपत्तियों और दायित्वों को ग्रहण कर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के अधीन संचालित की जा रही एक परियोजना है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी।
- एक PRI लाइन के माध्यम से कॉल प्राप्त करने एवं उत्तर देने के लिए, इसका एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो आईआईपीए में सर्वर आधारित है।
- यह परियोजना, उपभोक्ता के दिन-प्रतिदिन के व्यवहारों में व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से हल किए जाने की उपभोक्ता की आवश्यकता को समझता है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की प्रमुख कट्टी है।
- यह के बल कॉल सेंटर के रूप में ही कार्य नहीं करती। इसने 373 कंपनियों के साथ भागीदारी की है जो शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन प्रत्युत्तर देती है। इसे कंवर्जेस तंत्र कहा जाता है।
- यह कंवर्जेस कंपनी के साथ शिकायतों का अनुसरण करती है, शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करती है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में एक त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, जो अपने समक्ष दायर शिकायतों पर निर्णय सुनाता है और उपभोक्ताओं का त्वरित क्षतिपूर्ति करता है।
- इसमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद (क्षतिपूर्ति) आयोग जिसके अधिकार क्षेत्र में समूचा देश आता है और जिसका आर्थिक क्षेत्राधिकार एक करोड़ से ऊपर के दावों संबंधी उपभोक्ता विवादों एवं शिकायतों का है और जो राज्य/आयोगों पर अपीलीय प्राधिकरण है।
- 35 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग), जिनका अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य संघशासित क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख (बीस लाख) रुपये से अधिक और 1 करोड़ (एक करोड़) रुपये तक की राशि की उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित दावों का है और जो जिला मंचों के ऊपर अपीलीय प्राधिकरण है तथा 679 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच), जिनके अधिकार क्षेत्र में सम्पूर्ण जिला आता है।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला

- भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1912 से क्रियाशील राष्ट्रीय परीक्षणशाला- औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षणों तथा गुणता मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख प्रयोगशाला है।
- इस एक सदी पुराने वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान को भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के उद्देश्य से सीमित परीक्षण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (मूलतः सरकारी परीक्षणशाला के नाम से मशहूर) के रूप में मूलतः भारतीय रेलवे बोर्ड ने अलीपुर, कोलकाता में स्थापित किया था।
- NTH द्वारा प्रथम क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1963 में मुंबई में की गई और इसके बाद चेन्नई (1975), गाजियाबाद (1977), जयपुर (1994) तथा गुवाहाटी (1996) में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई।
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्री तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में, माप उपकरणों/उपस्करणों तथा यंत्र आदि के व्यास मापन के क्षेत्र में कार्य करता है।
- स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षणशाला, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों या उपभोक्ता मानक विनिर्देशनों के अनुरूप वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य करता है।

कीमतों की निगरानी

- उपभोक्ता मामले विभाग, एक कीमत निगरानी प्रकोष्ठ (PMC) का संचालन करता है, जिसका कार्य चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करना है।
- यह निगरानी दैनिक खुदरा और थोक, दोनों कीमतों के संबंध में दैनिक आधार पर की जाती है।
- यह प्रकोष्ठ राज्य/संघशासित प्रदेशों के नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से देशभर के 71 रिपोर्टिंग केंद्रों से एकत्र की गई 22 आवश्यक वस्तुओं, जिनमें अनाज, दालें, सब्जियाँ, खाद्य तेल, चीनी, दूध आदि शामिल हैं, कि कीमतों की निगरानी करता है।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के बाजारों में वर्तमान कीमतों की स्थिति के साथ-साथ कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का विश्लेषण किया जाता है और यथोचित नीतिगत कार्रवाई के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श तंत्र के नोटिस में लाया जाता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाज का बफर स्टॉक बनाये रखने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, जैसे उचित नीतिगत उपायों के जरिए चीनी तथा खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे उपायों के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- विभाग की खाद्य प्रबंधन नीति के मुख्य साधन अनाजों की खरीद, भंडारण और दुलाई, सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक का अनुरक्षण है।

अनाज की खरीद

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों की खरीद करता है।
- प्रत्येक खरीफ मौसम से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें विभिन्न कृषि निवेशों की लागत और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है।

- खाद्यान्न खरीद के लिए खोले जाने वाले खरीद केंद्रों की संख्या तथा पैके जिंग सामग्रियों की खरीद और भंडारण स्थान जैसे प्रबंधों का ख्याल रखा जाता है।
- राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली (DCP) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम सरकारी खरीद की जा सके, दुलाई लागत में कमी आए और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों की पहुंच का विस्तार किया जा सकें इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वयं अनाजों की खरीद और वितरण का कार्य करती हैं।
- हाल के वर्षों में अनाज पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि और पूर्वी भारत में हरित क्रांति पर बल दिए जाने से अनेक राज्यों में खरीद कार्यों का विस्तार हुआ है, जिससे खाद्यान्नों का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक 319 लाख टन के बफर मानक की तुलना में 2012 में रिकॉर्ड 805.16 लाख टन पहुंच गया है।

केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार

- खाद्य सुरक्षा के लिए नियत न्यूनतम भंडारण मानदंडों की पूर्ति करने के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPOsQ), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (OWS) के लिए मासिक स्तर पर अनाज जारी करने के लिए, अनापेक्षित रूप से फसल खराब होने, प्राकृतिक आपदाओं, त्योहारों आदि के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए तथा खुले बाजार की कीमतों को कम करने में सहायता करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय पूल के अनाजों के भंडार का उपयोग बाजार हस्तक्षेप में करने लिए अनाज भंडारण के मानदंड (बफर मानदंड) का निर्धारण किया गया।
- केंद्रीय पूल में अनाज (गेहूं और चावल) का भंडार सितंबर, 2018 में 590.86 लाख MT (205.77 लाख MT चावल और 385.09 लाख MT गेहूं) था। जो मानकों के अनुसार आवश्यकता से उसी मात्रा में अधिक था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

- जनता की खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 बनाया, जो 2013 से लागू हो गया।
- इस अधिनियम का उद्देश्य मानव जीवन चक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित दरों पर गुणवत्तपूर्ण आहार सुनिश्चित कराते हुए खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह कानून खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यापक बदलाव का सके त देता है और अब खाद्य सुरक्षा कल्याण आधारित ना रहे।

कर अधिकार आधारित हो गई है।

- ⇒ इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है।
- ⇒ इस तरह आबादी का दो-तिहाई हिस्सा कवर हो जाता है।
- ⇒ उच्च रियायती दर पर अनाजों की प्राप्ति दो श्रेणियों- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले परिवार की श्रेणी और प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में होती है।
- ⇒ AAY निर्धनतम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए वर्ष 2000 में लांच की गई।
- ⇒ अधिनियम के अंतर्गत ऐसे परिवार को 1/2/3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम मोटे अनाज/गोहू/चावल प्राप्त करने का अधिकार है।
- ⇒ प्राथमिकता वाले परिवारों को उपरोक्त रियायती दरों पर प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है।
- ⇒ इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का प्रावधान है।
- ⇒ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी अलग प्रावधान किए गए हैं।

प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ लागत साझेदारी के आधार पर लागत सार्वजनिक वितरण प्रणाली- टीपीडीएस संचालनों में प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना लागू कर रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात यह कार्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाज की कीमत और कम होती है।
- इस योजना की अवधि एक वर्ष के लिए 2019 तक बढ़ी गई है।

इसकी प्रमुख गतिविधियाँ

- लाभार्थियों की सही पहचान करने, जाली राशन कार्डों को हटाने, खाद्य सब्सिडी की बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण करना,

- उचित मूल्य दूकानों के स्तर पर खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए अनाजों का ऑनलाइन आवंटन करना,
- पारदर्शी पोर्टलों, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लागू करने के माध्यम से टीपीडीएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व लाने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था और पारदर्शिता पोर्टल।

POS का एकीकृत प्रबंधन

- ⇒ केंद्रीय क्षेत्र की एक नयी योजना- POS का एकीकृत प्रबंधन (IM-POS) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (POSN) की स्थापना करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन किया जाएगा, ताकि अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों के दुप्लीकेशन को समाप्त करने, पोर्टेबिलिटी लागू करने का कार्य किया जा सके।
- ⇒ यह योजना खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने को मजबूती प्रदान करेगी और लाभार्थियों को अपनी पसंद की FPS से अनाज उठाने में सहायता करेगी।
- ⇒ 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार, (समय-समय पर यथा संशोधित) आधार (वित्तीय और अन्य प्रकार की सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 के तहत, NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणन करना होगा।
- ⇒ जिनके पास आधार नहीं होगा, उन्हें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ राशन कार्ड का नंबर और अन्य विवरण उपलब्ध कराते हुए उचित दर की दूकान के मालिक के जरिए या राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के जरिए आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।
- ⇒ विभाग ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग की समस्या या लाभार्थी की खराब बायोमीट्रिक या किसी अन्य तकनीकी कारण से बायोमीट्रिक प्रमाणन विफल होने की सूत्र में लाभार्थी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा या खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण उस पुरुष/महिला द्वारा अपने बायोमीट्रिक प्रमाणन की जगह अपना आधार कार्ड दिखाने के आधार पर किया जाएगा।
- ⇒ इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि के बल आधार कार्ड ना होने के कारण किसी को भी अनाज देने से मना नहीं किया जाएगा या राशन का डेटाबेस से उसका नाम नहीं मिटाया जाएगा।

- ➲ यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी परिवार के सभी सदस्यों को आधार संख्या नियत नहीं की गई हो, तो राशन कार्ड में नामित पात्र परिवार का कोई भी सदस्य, जो पहचान की शर्तों को पूरा करता हो और जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज हो, वह NFSA के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज की पूरी मात्रा या खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा।

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना

- ➲ मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है।
- ➲ यह योजना सरकारी/सरकारी सहायता प्रदत्त स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है।
- ➲ प्रति बच्चा प्रत्येक स्कूल दिवस प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम की दर से तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम की दर से अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। जिसके अंतर्गत पका भोजन/प्रसंस्कृत गर्म खाना परोसा जाता है या प्रति विद्यार्थी प्रति महीने 3 किलोग्राम अनाज वितरण किया जाता है। इस दौरान कच्चा अनाज वितरित किया जाता है।
- ➲ वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 10.25 लाख टन चावल और 1.87 लाख टन गेहूँ सहित 12.12 लाख टन अनाज आवंटित किया गया।

गेहूँ आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम

- ➲ यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वित करता है।
- ➲ इसके तहत आवंटित होने वाले अनाजों का उपयोग राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (ICOsQ) योजना के अंतर्गत 0-6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक और ऊर्जायुक्त आहार देने के लिए किया जाता है।
- ➲ इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान 19.90 लाख टन अनाज आवंटित किया गया, जिसमें 9.63 लाख टन चावल और 10.27 लाख टन गेहूँ शामिल है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में योजना के अंतर्गत 13,000 टन मक्का आवंटित की गई।

किशोरियों के लिए योजना

- ➲ सबला योजना यह योजना केंद्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय चलाता है। लेकिन इस योजना के लिए अनाज, महिला और बाल विकास मंत्रालय को खाद्य और सार्वजनिक

- वितरण विभाग द्वारा BPL दरों पर आवंटित किया जाता है।
- ➲ सबला योजना 2010 में दो योजनाओं- पौष्टिकता कार्यक्रम और किशोरियां (NPAG) तथा किशोरी शक्ति योजना (KSY) को मिलाकर लांच की गई।
- ➲ इस योजना का उद्देश्य 11-18 साल की लड़कियों को पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर और उनके लिए उपयोगी विभिन्न कौशलों को उन्नत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
- ➲ इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी प्रदान करना और वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निर्देशित करना भी है।
- ➲ पौष्टिकता के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष में 300 दिन प्रत्येक लाभार्थी का प्रतिदिन 100 ग्राम आहार देने की आवश्यकता है।

कल्याणकारी संस्थाओं को अनाज की आपूर्ति

- ➲ टीपीडीएस या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई कल्याणकारी संस्थाओं यथा-भिशुगृह, नारी निके तन और अन्य प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को बीपीएल दरों पर अतिरिक्त अनाज (चावल और गेहूँ) का आवंटन किया गया है, जो बीपीएल आवंटन के 5% से अधिक नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी छात्रावासों को अनाज की आपूर्ति

- ➲ यह योजना वर्ष 1994 में लागू की गई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी से संबंधित दो-तिहाई विद्यार्थियों वाले छात्रावासों में रहने वाले प्रति महीने, प्रति निवासी 15 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने के पात्र हैं।
- ➲ इस योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अनाज आवंटन राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर करता है।

अन्नपूर्णा योजना

- ➲ योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है।
- ➲ यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है।

मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू)

- बफर स्टॉक बनाए रखने के अतिरिक्त तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफसीआई समय-समय पर खुले बाजार में केंद्रीय पूल के गहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-टेंडर के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर करता है, ताकि शुष्क मौसम में विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

अनाज का भंडारण

FCI और राज्य एजेंसियों की क्षमता

- सभी राज्यों में FCI के पास अपने कवर्ड गोदामों का ग्रिड है, जहां केंद्रीय पूल के अनाज का सुरक्षित स्टॉक रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त FCI केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) तथा राज्य भंडारण निगमों जैसी राज्य एजेंसियों तथा निजी पक्षों से किराये पर क्षमता प्राप्त करता है।
- निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है और जुलाई 2018 में 876.31 लाख MT क्षमता उपलब्धता की तुलना में 627.13 लाख एमटी का केंद्रीय अनाज स्टॉक था।

भंडारण क्षमता में वृद्धि

- अनाज उत्पादन और खरीद में हो रही लगातार वृद्धि के प्रबंधन के लिए विभाग देश में कवर्ड भंडारण क्षमता संवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना लागू कर रहा है।
- वर्ष 2008 में लांच किए गए पीईजी कार्यक्रम के अंतर्गत गोदाम सार्वजनिक-निजी-भागीदारी प्रणाली के तहत बनाए जाते हैं और चुनिंदा साझेदार भूमि तथा निर्माण लागत बहन करते हैं।
- एफसीआई अपनी ओर से निजी निवेशकों को 10 वर्ष तक भंडारण क्षमताओं का इस्तेमाल करने तथा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को 9 वर्ष तक उपयोग की गारंटी देता है।
- भंडारण क्षमताओं के आधुनिकीकरण के तहत स्टील साइलो रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भंडारण सुविधाएं बनाई जा रही हैं। प्रत्येक साइलो की क्षमता 25,000 या 50,000 MT होगी।
- इससे वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला का मर्शीनीकरण हो जाएगा और संचालन क्षमता में सुधार होगा।
- भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित हुए गोदामों के निर्माण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर राज्य में कार्यान्वित

की जा रही है।

- इसके अंतर्गत, POज के आपूर्ति संभार तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण

- भारत सरकार ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विकास, कृषि विपणन में सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए वेयरहाउसिंग अधिनियम, 2007 बनाया। यह 2010 से लागू है।
- सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2010 में वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) का गठन किया।
- वेयरहाउस में किसानों द्वारा जमा कराए गए कृषि उत्पादों के लिए जारी नियोशिएबल
- वेयरहाउस रसीद (NWR) से किसानों को बैंक से ऋण लेने में मदद मिलेगी।
- इससे व्यस्त फसल मौसम में किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को आनन-फानन में बेचने की समस्या पर काबू पाने में भी सहायता मिलेगी।
- प्राधिकरण ने एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, बनस्पति तेल, गिरी तथा रबर, तंबाकू, चाय, कॉफी मखाना आदि।
- आलू, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, सेब और किशमिश जैसी 26 बागवानी वस्तुओं सहित 123 कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया हैं।

केंद्रीय भंडारण निगम

- केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों, सामग्रियों और अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
- अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार, सीडब्ल्यूसी 431 भंडारणगारों या वेयरहाउसेज का प्रचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 100.28 लाख MT है।

फसल कटाई के बाद अनाज का प्रबंधन

अनाज के लिए गुणवत्ता के मानक

- सरकार विधिवत रूप से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज

मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू)

- बफर स्टॉक बनाए रखने के अतिरिक्त तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफसीआई समय-समय पर खुले बाजार में केंद्रीय पूल के गहरे और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-टेंडर के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर करता है, ताकि शुष्क मौसम में विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाई जा सके।

अनाज का भंडारण

FCI और राज्य एजेंसियों की क्षमता

- सभी राज्यों में FCI के पास अपने कवर्ड गोदामों का ग्रिड है, जहां केंद्रीय पूल के अनाज का सुरक्षित स्टॉक रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त FCI केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) तथा राज्य भंडारण निगमों जैसी राज्य एजेंसियों तथा निजी पक्षों से किराये पर क्षमता प्राप्त करता है।
- निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है और जुलाई 2018 में 876.31 लाख MT क्षमता उपलब्धता की तुलना में 627.13 लाख एमटी का केंद्रीय अनाज स्टॉक था।

भंडारण क्षमता में वृद्धि

- अनाज उत्पादन और खरीद में हो रही लगातार वृद्धि के प्रबंधन के लिए विभाग देश में कवर्ड भंडारण क्षमता संवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना लागू कर रहा है।
- वर्ष 2008 में लांच किए गए पीईजी कार्यक्रम के अंतर्गत गोदाम सार्वजनिक-निजी-भागीदारी प्रणाली के तहत बनाए जाते हैं और चुनिंदा साझेदार भूमि तथा निर्माण लागत बहन करते हैं।
- एफसीआई अपनी ओर से निजी निवेशकों को 10 वर्ष तक भंडारण क्षमताओं का इस्तेमाल करने तथा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को 9 वर्ष तक उपयोग की गारंटी देता है।
- भंडारण क्षमताओं के आधुनिकीकरण के तहत स्टील साइलो रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भंडारण सुविधाएं बनाई जा रही हैं। प्रत्येक साइलो की क्षमता 25,000 या 50,000 MT होगी।
- इससे वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला का मर्शीनीकरण हो जाएगा और संचालन क्षमता में सुधार होगा।
- भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित हुए गोदामों के निर्माण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर राज्य में कार्यान्वित

की जा रही है।

- इसके अंतर्गत, POइ के आपूर्ति संभार तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण

- भारत सरकार ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विकास, कृषि विपणन में सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए वेयरहाउसिंग अधिनियम, 2007 बनाया। यह 2010 से लागू है।
- सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2010 में वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) का गठन किया।
- वेयरहाउस में किसानों द्वारा जमा कराए गए कृषि उत्पादों के लिए जारी नियोगिएवल
- वेयरहाउस रसीद (NWR) से किसानों को बैंक से ऋण लेने में मदद मिलेगी।
- इससे व्यस्त फसल मौसम में किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को आनन-फानन में बेचने की समस्या पर काबू पाने में भी सहायता मिलेगी।
- प्राधिकरण ने एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, बनस्पति तेल, गिरी तथा रबर, तंबाकू, चाय, कॉफी मखाना आदि।
- आलू, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, सेब और किशमिश जैसी 26 बागवानी वस्तुओं सहित 123 कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया हैं।

केंद्रीय भंडारण निगम

- केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों, सामग्रियों और अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
- अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार, सीडब्ल्यूसी 431 भंडारणगारों या वेयरहाउसेज का प्रचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 100.28 लाख MT है।

फसल कटाई के बाद अनाज का प्रबंधन

अनाज के लिए गुणवत्ता के मानक

- सरकार विधिवत रूप से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज

की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है। नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ तथा क्षेत्रीय कार्यालय खरीदे गए और भंडार में रखे गए अनाजों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और FCI तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा वितरण के लिए जारी करते हैं।

- वर्ष 2017-18 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों के अधिकारियों द्वारा 1170 अनाज भंडारण डिपो का निरीक्षण किया गया।

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान

- भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (IGMRI), हापुड़ तथा लुधियाना (पंजाब) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित उसके फैलिंग स्टेशन अनाज के भंडारण प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्य संचालित करते हैं।
- IGMRI भंडारण एजेंसियों और कोट नियंत्रण संचालकों आदि के लिए अनाज के भंडारण, निरीक्षण तथा कोट नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला

- नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (CGAL) गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों का विश्लेषण करके सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण के समय अनाज गुणवत्ता की निगरानी में विभाग की मदद करती है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान पदार्थ संबंधी मापदंडों के लिए कुल 1,548 नमूनों, प्रोटीन निर्धारण के लिए 667 नमूनों तथा गेहूं में घटती संख्या के लिए 664 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

अनाज का आयात और निर्यात

चावल और गेहूं की निर्यात नीति

- सरकार ने वर्ष 2011 से निजी पक्षों द्वारा रखे गए स्टॉक में से निजी स्तर पर गैर-बासमती चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति दी है।
- मेसर्स NCCF तथा NAFED सहित राज्य व्यापार उद्यमों को भी निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- भारत-बांग्लादेश तथा भारत-नेपाल सीमा पर गैर EDI लैंड कस्टम स्टेशनों (LCM) के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए डीजीएफटी में मात्रा पंजीकरण अनिवार्य है।

गेहूं और चावल के नियात की स्थिति

- वर्ष 2017-18 के दौरान 86.46 लाख एमटी गैर-बासमती चावल और 2,25,208 लाख MT गेहूं का निर्यात नियंत्रण मुक्त श्रेणी के अंतर्गत किया गया।

सरकारी तौर पर निर्यात की स्थिति

- सरकार विदेश मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राजनायिक आधार/मानवीय सहायता रूप में भी विभिन्न मित्र देशों को गेहूं और चावल के निर्यात की अनुमति देती है।

चावल और गेहूं का आयात

- वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय पूल भंडारों के लिए गेहूं और चावल का आयात नहीं किया गया। हालांकि 2017-18 के दौरान निजी व्यापारियों/मिल मालिकों द्वारा 16,49,725 MT गेहूं और 2,122 एमटी गैर-बासमती चावल का आयात किया गया।

चीनी उत्पादन

- भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चालू चीनी मौसम 2017-18 में 322.00 लाख MT चीनी के उत्पादन का अनुमान है।

गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

- गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के संशोधित प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित घटकों के संदर्भ में गन्ने का FRP निर्धारित किया जाता है। ये घटक हैं-
 - गन्ना उत्पादन की लागत
 - उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से लाभ तथा कृषि जिन्सों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति,
 - उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता,
 - वह मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से तैयार चीनी बेची जाती हैं,
 - गन्ने से चीनी प्राप्त करना,
 - उप-उत्पादकों यानि शीरा, खोई तथा प्रेस मड़ की विक्री से अर्जित आय अथवा इन उत्पादों का अधिरोपित मूल्य और
 - जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन।
- इसी के अनुसार, चीनी मौसम 2018-19 के लिए 275 रुपये प्रति किलोटल की दर से गन्ने का FRP तय किया गया है। यह दर 10% की बेसिक रिकवरी दर से जुड़ी है।
- जिसमें तय स्तर से ऊपर प्रति 0.1% प्वाइंट रिकवरी पर 2.75

रुपये प्रति किवंटल का ग्रीमियम मिलेगा।

चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त बनाना

- चीनी उद्योग के लिए वर्ष 2013-14 ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने 'चीनी क्षेत्र' को नियंत्रण मुक्त बनाने के लिए डॉ. सी रंगराजन के अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सितंबर 2012 के बाद उत्पादित चीनी के लिए मिलों पर लेवी लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने और खुले बाजार में चीनी की बिक्री पर नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने का कदम चीनी मिलों की वित्तीय हालत सुधारने, नकद प्रवाह बढ़ाने, इंवेंटरी लागत कम करने तथा गत्रा किसानों के लिए गत्रे के मूल्य का समय पर भुगतान करने के लिए उठाया गया।
- गत्रा क्षेत्र अरक्षण, न्यूनतम दूरी मानक तथा गत्रा मूल्य फॉर्मूला अपनाने के बारे में समिति की सिफारिशों को लागू करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया क्योंकि राज्य सरकारें अपने विवेक से इस पर निर्णय लेने में सक्षम हैं।

अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी वितरण की समीक्षा

- यह योजना 2001 की जनगणना के अनुसार देश की समस्त BPL आबादी तथा पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी/पहाड़ी राज्यों तथा द्विपीय क्षेत्रों की समस्त जनसंख्या को कवर करती थी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) को अब सभी 36 राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा समान रूप से लागू किया जा रहा है।
- NFSA के तहत, BPL श्रेणी की पहचान नहीं की गई है तथापि, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान कर ली गई है।
- भारत सरकार ने चीनी सब्सिडी योजना की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि समाज के सबसे गरीब वर्ग अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को उनके आहार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में चीनी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।
- तदनुसार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण की मौजूदा पद्धति को निमानुसार जारी रखा जाए:-

 - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त चीनी की आपूर्ति संबंधी मौजूदा स्कीम को के बल अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के सीमित कवरेज हेतु जारी रखा जाए। उन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलोग्राम

चीनी उपलब्ध करायी जाएगी,

- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही चीनी पर दी जा रही 18.50 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली आबादी के लिए जारी रखा जा सकता है। संशोधित योजना 2017 में लागू की गई थी।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

- इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है, जो मूल रूप से चीनी उद्योग के शीरा जैसे उप उत्पादों से तैयार किया जाता है।
- जिस वर्ष गत्रे की उपज जरूरत से ज्यादा होती है और चीनी के भाव गिर जाते हैं उस वर्ष चीनी उद्योग किसानों को गत्रे की कीमत उपलब्ध नहीं करा पाता।
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (EBP) इथेनॉल को मोटर स्पिरिट के साथ मिश्रित करके प्रदूषण स्तर कम करने के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचाने और चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन करने का प्रयास करता है, ताकि उसे किसानों के बकाया गत्रा मूल्यों का भुगतान करने में समर्थ बनाया जा सके।
- केंद्र सरकार ने EBP के अंतर्गत मिश्रण लक्ष्य 5 से बढ़ा कर 10% कर दिया है।
- ईबीपी के अंतर्गत संपूर्ण इथेनॉल आपूर्ति शृंखला को व्यवस्थित बनाने के लिए इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इथेनॉल का लाभकारी एक्स-डिपो मूल्य निर्धारित किया गया है।
- नए मिश्रण लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए एक ग्रिड तैयार किया गया है, जो डिस्टीलरी को OMC डिपो से नेटवर्क करता है और सप्लाई की जाने वाली मात्रा का ब्लोग देता है।

चीनी विकास कोष

- चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देश में किसी भी चीनी फैक्टरी द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली समस्त चीनी पर उत्पाद शुल्क के रूप में बसूले जाने वाले उपकर को करारोपण कानून अधिनियम, 2017 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।
- एकत्रित उपकर से बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से SDF के लिए कोष उपलब्ध कराया जाता था।

उत्पादन सब्सिडी

- सरकार ने गत्रा लागत समायोजित करने तथा चीनी मौसम 2015-16 के लिए किसानों को गत्रे की बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में सहायता के लिए चीनी मिलों को 2015 से 4.50 रुपये प्रति किंवटल की दर से उत्पादन सब्सिडी का विस्तार किया है।
- इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि चीनी के दाम प्रचालनगत व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित स्तरों से ऊपर है, सरकार ने वर्ष 2016 से उत्पादन सब्सिडी योजना वापस ले ली है।

खाद्य तेल

- देश में खाद्य तेलों के कारण प्रबंधन के कदमों में उपभोक्ताओं को उचित दरों पर खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
- वर्ष 2017-18 के तीसरे अग्रिम पूर्वानुमान (नवबर-अक्टूबर) के अनुसार, पिछले वर्ष के 312.76 लाख टन की तुलना में 306.38 लाख टन तिलहन उत्पादन का अनुमान है।

वनस्पति तेल उद्योग

- देश में लगभग 100 वनस्पति तेल इकाइयां और 651 साल्वेंट एक्सट्रैक्शन संयंत्र/रिफायनरियां हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 6800 लाख MT कच्चे माल को संसाधित करने की है।
- साल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार, विभिन्न कारणों से विशेष रूप से कच्चा माल मौसम के अनुसार उपलब्ध होने से खाद्य तेल उद्योग की कुल क्षमता का लगभग 35% उपयोग हो रहा है।

खाद्य तेलों के नियांत पर प्रतिबंध

- मार्च 2008 से खाद्य तेलों के नियांत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन समस्त इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) बंदरगाहों और अधिसूचित लैंड कस्टम स्टेशनों (LCS) के माध्यम से नारियल तेल, के स्टर ऑयल और लघु वन उत्पादों से तैयार होने वाले कुछ तेलों जैसे कुछ उत्पादों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
- इसके अतिरिक्त, खाद्य तेल के नियांत की अनुमति 5 किलोग्राम के ब्रांडशुदा उपभोक्ता पैके टों में दी गई है, जिनका न्यूनतम नियांत मूल्य 900 अमरीकी डॉलर प्रति टन हो। यह 2015 में 1100 अमरीकी डॉलर प्रति टन था।
- 2015 से चावल की भूसी के तेल का बल्क में नियांत करने की अनुमति है। 2017 से मूँगफली का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल और मक्का (कॉर्न ऑयल) को प्रतिबंध से छूट दी गई है।

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

- कच्चे तथा रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क क्रमशः 35 और 45% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि जैतून के तेल पर आयात शुल्क 40% तक बढ़ा दिया गया है।
- कच्चे और पॉम ऑयल पर आयात शुल्क क्रमशः 44 और 54% तक बढ़ा दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- भारत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत अनेक एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। इनमें विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), सार्क फूड बैंक, खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (ISO) आदि शामिल हैं।

सार्क फूड बैंक

- वर्ष 2007 में, नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, सार्क देशों के प्रमुखों ने सार्क फूड बैंक स्थापित करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- फूड बैंक क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय प्रयासों में पूरक भूमिका निभाएगा।
- इस समझौते के अनुसार, सार्क फूड बैंक में अनाज का भंडार रखा जाएगा। रखरखाव का काम सभी सदस्य देश करेंगे। जिसमें देश के मूल्यांकित हिस्से के अनुसार के बल गेहूं या चावल अथवा दोनों का समीकरण होगा।

खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य सुरक्षा समिति

- वर्ष 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सबसे बड़ी विशेषज्ञता संपन्न एजेंसियों में से एक है।
- इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ा कर और ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारना है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) खाद्य उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए एक मंच के रूप में काम करती है।
- भारत FAO और CFS दोनों का सदस्य है। खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) WFS कार्ययोजना की प्रगति की निगरानी करती है।

अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद

- भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद (IGC) का सदस्य है। परिषद को 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था।
- यह गेहूं और मोटे अनाज के मामले में सहयोग के लिए

निर्यात-आयात करने वाले देशों का अंतर-सरकारी मंच है।

- यह ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन, 1995 को प्रशासित करता है। इसका सचिवालय 1949 से लंदन में है, जो खाद्य सहायता सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित खाद्य सहायता समिति को भी सेवाएं प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते में अनाज व्यापार समझौता और अनाज सहायता समझौता शामिल है।
- भारत 1995 से अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते और 1995 से लागू अनाज व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है।
- IGC के दो प्रकार के सदस्यों में आयातक सदस्य देश और निर्यातक सदस्य देश शामिल होते हैं।
- भारत को जुलाई 2003 में निर्यात सदस्य की श्रेणी में शामिल किया गया और भारत ने समय-समय पर आयोजित परिषद की बैठकों/सत्रों में प्रतिनिधित्व किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में स्थापित किया गया। बाद में इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया था तथा कृषि मंत्रालय के अधीन लाया गया। इसे 2001 में पुनः मंत्रालय बना दिया गया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नाम रखा गया।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है।
- एक मजबूत एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यीकरण में जीवंत भूमिका निभाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, कृषि उपजों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए बाजार सृजित करता है।
- मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक निवेश लाने, उद्योग का मार्गदर्शन और सहायता करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के यथेष्ट विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 के तहत मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार है:
 1. निम्नलिखित से संबंधित उद्योग:
 - कृषि उत्पादों (दूध पाउडर, शिशु दुध आहार, मिश्रित दुध आहार, संधनित दूध, घी एवं अन्य डेयरी

उत्पाद), कुकुरुट एवं अंडे, मांस एवं मांस उत्पादों का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन

- मत्स्य प्रसंस्करण (के निंग एवं फ्रीजिंग सहित)
- मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना तथा सेवा प्रदान करना
- मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता एवं सलाह
- फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन एवं निर्जलीकरण सहित) एवं
- खाद्यान्न पिलिंग उद्योग।
- 2. ब्रेड, तिलहन, आहार (खाद्य), नाश्ते के भोजन, बिस्कुट, कनफेक्शनरी (कोको प्रसंस्करण तथा चॉकलेट बनाने सहित), जौ सत्त्व, प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन आहार, दूध छुड़ाने वाले आहार तथा अन्य निष्क्रमित खाद्य पदार्थों (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों सहित) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास एवं नियंत्रण तथा सहायता।
- 3. बीयर गैर-अल्कोहलयुक्त बीयर सहित
- 4. गैर शीरा आधारित अल्कोहलयुक्त पेय
- 5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष पैके जिंग
- 6. वातित जल तथा सॉफ्ट ड्रिंक।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान

- कुछ वर्षों से भारत में कृषि उत्पादन में निरंतर उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दूध, घी, अदरक, के ला, अमरुद, पपीता और आम के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। इसके अतिरिक्त, भारत चावल, गेहूँ, और कई अन्य सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि और सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार

- वर्ष 2014-15 के लिए उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 1773 लाख थी।
- NSSO के 67वें दौर, 2010-11 के अनुसार, गैर पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 47.9 लाख कामगारों को रोजगार प्राप्त हुआ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्थायी पूँजी

- स्थायी पूँजी में निवेश के संदर्भ में, 2014-15 को समाप्त होने वाले 6 वर्षों के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 15.60%

की वार्षिक औसत दर से बढ़ करता रहा है।

- ➲ नवीनतम ASI 2014-15 के अंकड़ों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्थायी पूँजी 1.92 लाख करोड़ रुपये थी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- ➲ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत शत-% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति है।
- ➲ भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉर्मस सहित व्यापार के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत FDI की अनुमति है।

खाद्य प्रसंस्करण और मेक इन इंडिया

- ➲ इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अवसरंचना में निवेश कर रहा है।
- ➲ सुदृढ़ कृषि संसाधन आधार वाले क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं यथा- सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवेज सुविधा और सार्वजनिक प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे पलिंग (लुग्दीकरण), पैके जिंग, शीतागार, शुष्क भंडारण और संभार से सुसज्जित मेंगा फूड पार्कों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ➲ ये फूड पार्क उद्यमियों को दीर्घावधि लौज के आधार पर पूर्णतः विकसित प्लॉट और फैक्ट्री शेड उपलब्ध कराते हैं।
- ➲ मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्पित 'निवेशक पोर्टल' के माध्यम से संभावित निवेशकों तक सूचना का प्रसार किया जा रहा है।
- ➲ संयुक्त उपक्रम सहभागियों को खोजने, सहायता करने और परामर्श सेवाएं देने, विनियामक अनुमोदनों में तेजी लाने और निवेशकों को कार्य के पश्चात सहायक सेवाएं प्रदान करने के संर्वे में निवेशकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय इन्वेस्ट इंडिया के साथ भी साझेदारी कर रहा है।
- ➲ मंत्रालय खुदरा बाजार में FDI सहित एफडीआई को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रोड शो भी कर रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

- ➲ मंत्रालय ने 2012 में, 12वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP) लांच किया।
- ➲ 11वीं योजना की केंद्रीय क्षेत्र में 5 जारी योजनाओं तथा चार नई योजनाओं का मिशन में विलय किया गया।

- ➲ CSS-NMFP राज्यों/संघशासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की गई। हालांकि 2015 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में CSS-NMFP से केंद्रीय समर्थन वापस ले लिया गया और इसके परिणामस्वरूप मिशन की सभी 9 योजनाएं खत्म कर दी गईं।
- ➲ भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना- किसान संपदा योजना (कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना) 2017 में लॉच की और 2016-20 के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।
- ➲ यह योजना 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ-साथ समाप्त होगी। यह एक विस्तृत पैके ज है, जो खेत से खुदरा दूकानों तक कारगर सप्लाई श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसरंचना निर्माण में सहायक होगा।
- ➲ यह ना के बल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में सहायक होगा।
- ➲ यह किसानों की आय दोगुनी करने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करने, कृषि उत्पादों को बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान

- मंत्रालय ने 2012 में हरियाणा के कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना की।
- निफ्टेम को डी नोवो श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।
- यह संस्थान B. Tech, M. Tech तथा PHD पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का संचालन कर रहा है।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान

- यह संस्थान B. Tech, M. Tech तथा PHD पाठ्यक्रमों का संचालन करता है तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
- योजना के अंतर्गत IIFPT को अवसरंचना सुविधाएं विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

